



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 31, 2003/ज्येष्ठ 10, 1925

No. 22]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 31, 2003/JYAISTHA 10, 1925

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 मई, 2003

सा.का.नि. 218.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 73 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार मुद्रणालय (समूह 'ग' तथा समूह 'घ' औद्योगिक पद) भर्ती नियम, 1993, भारत सरकार मुद्रणालय एवं शाखा समूह 'ग' इलक्ट्रॉनिक डुप्लीकेटिंग मशीन आपरेटर भर्ती नियम, 1996 तथा भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड और रिंग रोड, नई दिल्ली सहायक निरीक्षक (नियंत्रण) सहायक निरीक्षक (नियंत्रण) (गणन) भर्ती नियम 1979 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, मुद्रण निदेशालय में भारत सरकार मुद्रणालयों या उनकी शाखाओं में समूह 'ग' तथा समूह 'घ' औद्योगिक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार मुद्रणालय समूह 'ग' एवं समूह 'घ' (औद्योगिक पद) भर्ती नियम 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण एवं उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा एवं अन्य अर्हतायें आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हतायें और उनसे सम्बंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं :

परन्तु जहां मुद्रण निदेशक संतुष्ट हो उन कारणों को लेखबद्ध करके वह आदेश द्वारा, किसी कर्मचारी को लोकहित में या ऐसे कर्मचारी की प्रार्थना पर अनुकम्पा के आधार पर मुद्रणालय के अधिशेष कर्मचारी के पुनः परिनियोजन के लिए उनके नियंत्रणाधीन एक मुद्रणालय से अन्य किसी मुद्रणालय में निम्नलिखित दशां के अर्हतायें स्थानान्तरित कर सकते हैं; अर्थात् :—

- (क) जहां स्थानान्तरण का आदेश लोकहित में किया जाता है, और जिससे सम्बद्ध कर्मचारी के सेवा हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (ख) जहां सम्बंधित कर्मचारी की अनुकम्पा के आधार पर की गई प्रार्थना पर स्थानान्तरण किया गया है वहां सम्बंधित व्यैष्टिक को उसके अपने मूल एकक में की गई सेवा का लाभ ज्येष्ठता के प्रयोजन हेतु उस एकक में नहीं मिलेगा जिसमें उसका स्थानान्तरण किया जाता है, और
- (ग) जहां किसी अधिशेष व्यक्ति को पुनः नियोजित किया गया है, जहां उसका आमेलन किया जाता है ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिए उस एकक में नई भर्ती किया गया समझा जायेगा।

5. निरर्हता.—कोई व्यक्ति,—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित हैं; विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है; या
- (ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार सन्तुष्ट होती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के अन्य पक्ष के लिए लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गये वर्षों का फायदा, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

1.	कोरमैन। (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (पर्ववैधीय), अराज्यपत्रित, अनुसूचितवर्गीय।	5000-150-8000 रुपये।	अचयन।	अच्छरह से सप्ताहस वर्ष के बीच (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अधिकारियों को उच्च आयु सीमा स्थित करके धैर्यता वर्ष तक की जा सकती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में पांच वर्ष और स्थित की जा सकती है।)	लागू नहीं होता।	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से युद्ध प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा साथ ही किसी छात्रता प्राप्त युद्धालय या संस्था में कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव।
----	--	--	----------------------	-------	---	-----------------	--

टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अध्यायियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अध्यायियों के लिए विहित की गई हैं)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<p>सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं</p>	<p>परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है</p>	<p>भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता</p>	<p>प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले में, श्रेणियां जिसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, इसकी क्या संरचना है</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में सब लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।</p>
<p>लागू नहीं होता।</p>	<p>सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति के लिए दो वर्ष।</p>	<p>(i) आमेलन द्वारा, (ii) भारत सरकार के अन्य मुद्रणालयों से अधिशिष्ट कर्मचारियों के स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा।</p>	<p>आमेलन द्वारा:- फोरमैन (लाइनों), फोरमैन (मोनों), फोरमैन (कंसल्ट), फोरमैन (मशीन), फोरमैन (योजन) की श्रेणी में नियमित सेवा में हो।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा बाह्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। 	<p>लागू नहीं होता।</p>

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(8) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा साथ ही किसी छात्राति प्राप्त मुद्रणालय या संस्था में कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव।

अद्वारह से सत्ताईस वर्ष के बीच (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा स्थित कर के पैंतीस वर्ष तक को जा सकती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दशा में पांच वर्ष और स्थित की जा सकती है।

टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले का पांगी उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से को जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सागू नहीं होता।

अवयव।

5000-150-8000 रुपये।

साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (पंचवर्षीय), अराज्यपत्रित, अननुसूचित।

सैंतीस (37) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।

2.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
सागू नहीं होता।	सोचे भर्ती किए गए व्यक्ति के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति:- 4500-125-7000 रुपये के वेतनमान में ऐसा सैकशन होल्डर (जिल्दसाजी)/टइम चैकर (जिल्दसाजी) जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो, जिसके न हो सकने पर ऐसा सैकशन होल्डर (जिल्दसाजी)/टइम चैकर (जिल्दसाजी) जिसने उस श्रेणी और जिल्दसाजी को श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा बाह्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है।	सागू नहीं होता।
			प्रतिनियुक्ति:- केन्द्रीय सरकार (जिसके अन्तर्गत विभाग भी सम्मिलित है) के ऐसे अधिकारी: (क) जो सदृश पद अर्थात् 5000-150-8000 रुपये के वेतनमान में फोरमैन (जिल्दसाजी) का पद नियमित आधार पर धारण किए हुए हो; या (ख) 4500-125-7000 रुपये के वेतनमान में ऐसा सैकशन होल्डर (जिल्दसाजी)/टइम चैकर (जिल्दसाजी) जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।		
			(प्रतिनियुक्ति को अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर पद पर प्रति-नियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)		

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

3. सैकशन होल्डर/
(ज़िल्दसाजी)
ट्रश्म चैकर
(ज़िल्दसाजी)।
- बानवे (92)
(कार्यभार के
आधार पर
परिवर्तन किया
जा सकता है)
- साधारण केन्द्रीय
सेवा, समूह 'ग'
(पर्यवेक्षीय),
अराज्यपत्रित,
अनुसुचितीय।
- 4500-125-7000
रुपये।
- अचयन।
- लागू नहीं होता।
- अद्वयारह से सत्तारह वर्ष के बीच
(सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय
अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा सिधिल कर
के पैंतीसवर्ष तक की जा सकती है। अनुसूचित
जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में
पांच वर्ष और सिधिल की जा सकती है।)

टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए
निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से
आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई
अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम
तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल
प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा,
सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लाहाख
खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति
जिले तथा चम्पा जिले का पांगी उपखण्ड,
अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के
अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने
वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा
अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह
अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार
कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया
है।

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय
या संस्था से मुद्रण प्रौद्योगिकी में
डिप्लोमा साथही मुद्रण और
ज़िल्दसाजी के कार्य करने वाले
किसी ख्यातिप्राप्त मुद्रणालय या
संस्था में जिल्दसाजी कार्य करने
का तीन वर्ष का अनुभव हो।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों लिए दो वर्ष।	आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति, जिसके न हो सकने पर सीधो भर्ती द्वारा।	आमेलन:- सेक्शन होल्डर (केस), टाइम चेंकर (केस), सेक्शन होल्डर (मोनो कास्टर) एवं रीडर/रिवाइजर जिसने जिल्दसाजी अनुभाग में तीन महीने के प्रशिक्षण के पश्चात् इस श्रेणी में पांच वर्ष तक नियमित सेवा की हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा बाह्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है।	लागू नहीं होता।
			प्रोन्नति:- 4000-100-6000 रुपये के वेतनमान में ऐसा जिल्दसाज जिसने उस श्रेणी में पांच वर्षों नियमित सेवा की हो जिसके न हो सकने पर 3050-75-3950-80-4590 रुपये के वेतनमान में ऐसा सहायक जिल्दसाज जिसने सम्मिलित रूप से श्रेणी में तथा जिल्दसाज की श्रेणी में तैरह (13) वर्षों की सम्मिलित नियमित सेवा की हो।		
			प्रतिनियुक्ति:- केन्द्रीय सरकार (जिसके अन्तर्गत विभाग भी सम्मिलित है) के ऐसे अधिकारी:		
			(क) जो सदृश पद अर्थात् 4500-125-7000 रुपये के वेतनमान में ऐसा सेक्शन होल्डर (जिल्दसाजी)/टाइम चेंकर (जिल्दसाजी) जो नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हो;		
			(ख) 4000-100-6000 रुपये के वेतनमान में ऐसा जिल्दसाज जिसने उस श्रेणी में पांच वर्षों की नियमित सेवा की हो।		
			(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4. जिल्दसाब (विशेष श्रेणी)	पांच सौ छहस्र (576)	साधारण केन्द्रीय सेवा; समूह 'ग' (उच्च कुशल श्रेणी-II),	4000-100-6000 रुपये।	अचयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
जिल्दसाब पद का विलय जिल्दसाब पद के साथ किया गया है।	कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	अनुसूचित, अनुसूचितबीच					
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति:- 3050-75-3950-80-4590 रुपये के वेतनमान में ऐसा सहायक जिल्दसाब जिसने उस श्रेणी में व्यावसाय परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अध्यक्षीन रहते हुए आठ वर्षों की नियमित सेवा की हो। प्रतिनियुक्ति:- केन्द्रीय सरकार (जिसके अन्तर्गत विभाग भी सम्मिलित है) के ऐसे अधिकारी: (क) जो सदृश पद अर्थात् 4000-100-6000 रुपये के वेतनमान में ऐसा जिल्दसाब जो नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हो या (ख) 3050-75-3950-80-4590 रुपये के वेतनमान में ऐसा सहायक जिल्दसाब जिसने सम्बन्धित व्यवसाय में परीक्षण अर्हता प्राप्त करने के अध्यक्षीन रहते हुए, आठ वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के ठसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले शारित किसी अन्य काडर पद पर प्रति-नियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारसाथक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा बाह्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है।	लागू नहीं होता।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5. सहायक जिल्दसाज।	एक हजार छह सौ तेईस (1623) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (कुराल), अराजपत्रित, अननुसुचितवाय।	3050-75-3950-80-4590 रुपये।	अवयव।	लागू नहीं होता।	अष्टादश से सत्ताईस वर्ष के बीच (सोथी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा शिथिल कर के पैंतीस वर्ष तक की जा सकती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दशा में पांच वर्ष और शिथिल की जा सकती है।)	(i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या बोर्ड से मैट्रिक (10वीं कक्षा) उत्तीर्ण। (ii) शिथिल अधिनियम 1961 (1961 का 52) के अधीन शिथिलता सफलतापूर्वक पूर्ण करने का प्रमाणपत्र। या + 2 स्तर पर सुदृढ़ प्रौद्योगिकी में व्यवसायिक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने का प्रमाणपत्र।
						टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के हद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का खंडी उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप वा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति को दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	
						टिप्पण:- अनुभव सम्बन्धी अर्हता (अर्हताएं) संव संकेत सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या संकेत प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामलों में शिथिल की जा सकती है (है) जब चयन की किसी प्रक्रिया में संव लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या संकेत प्राधिकारी को यह राय है कि उनके लिए आवेक्षित रिक्तियों को भरे के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के चर्चात संख्या में उपलब्ध होते को संभावना नहीं है।	

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
<p>विद्यमान आपरेटर के सिवाए जिसके लिए कोई अधिकतम सीमा अपेक्षित नहीं है, स्थानान्तरित या आमेलित व्यक्तियों के लिए अग्रे सीमा पैतलीस (45) वर्ष तथा ऐसे मुद्रणालय में जहाँ पैतलीस (45) वर्ष तक आयु के स्थानान्तरित व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं वहाँ आयु सीमा शिथिल करके पचास (50) वर्ष तक की जा सकती है।</p>	<p>(i) सौ प्रतिशत मुद्रणालयों से आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर, (ii) ष्चत्स प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, (iii) पांच प्रतिशत अनौद्योगिक समूह 'ब' से आमेलन द्वारा, (iv) पैतलीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा।</p>	<p>आमेलन:- नियमित सहायक बिल्डसाज, मोनो कास्टर प्रचालक, कम्पोजिटर-II, मशीन सहायक (अक्षर मुद्रण), कोपी होल्डर, यूफ़ प्रैस मैन्-1, डार्करोम सहायक, ईवर, मशीन सहायक (रेडरी), स्टीरियो टाइपर, माउण्टर, विटलक, सिलिण्डर यूफ़ प्रैस मैन्-1 तथा मेटल मेल्डर को तीन महीने के सफलतापूर्वक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक परीक्षण के बाद स्थानान्तरण से आमेलन द्वारा ऐसा सहायक बिल्डसाज को छोड़कर जहाँ मुद्रणालय आयुविकीकरण के अधीन है।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित हैंगे:- 1. भारत सरकार मुद्रणालय के सहायक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारतसहायक — सहाय्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सहाय्य 4. मुद्रणालयों के कार्य का ज़ानकार किसी विभाग का ऐसा बाह्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है।</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>			
<p>टिप्पण:- रिक्रियों को पहले उसी मुद्रणालय से आमेलन द्वारा भरा जाना है तत्पश्चात् भारत सरकार के अन्य मुद्रणालयों से स्थानान्तरण द्वारा भरा जाना है।</p>	<p>व्यवसाय परीक्षण में अर्हता को शर्त के अध्यक्षीय रहते हुए अनौद्योगिक प्रवर्ग के ऐसे समूह 'ब' कर्मचारियों से बिन्दूने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। ऐसा आमेलन सेवा शर्तों में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए संबंधित कर्मचारियों से विनिर्दिष्ट रजामंदी प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जायेगा। सहायक बिल्डसाज के पद हेतु श्रमिकों के आमेलन पर बिचार नहीं किया जायेगा।</p>	<p>प्रोन्नति:- 2550-55-2600-60-3200 रुपये के केतमान में व्यवसाय परीक्षण अर्हता करने के अध्यक्षीय रहते हुए ऐसे श्रमिक बिन्दूने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6. प्रधान रीडर।	देरह (13) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (पर्यवेक्षीय), अराजपत्रित, अनुसूचिविधायी।	5000-150-8000 रुपये।	अस्पन्धः	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<p>प्रोन्नति:- 4500-125-7000 रुपये के वेतनमान में ऐसा कापी सम्पादक जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है, जिसके न हो सकने पर ऐसा कापी सम्पादक जिसने उस श्रेणी में और रीडर की श्रेणी में सम्मिलित रूप से आठ वर्ष नियमित सेवा की है, दोनों के न हो सकने पर में एक रीडर जिसने आठ वर्ष की सेवा की है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति:- केन्द्रीय सरकार (जिसके अन्तर्गत विभाग भी है) के ऐसे अधिकारी: (क) 5000-150-8000 रुपये के वेतनमान में ऐसा प्रधान रीडर/सम्पादक जो नियमित आधार पर पद धारण किए हो या (ख) 4500-125-7000 रुपये के वेतनमान में ऐसा कापी सम्पादक जिसने इस पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो या (ग) 4500-125-7000 रुपये के वेतनमान में ऐसा कापी सम्पादक जिसने उस श्रेणी में तथा 4000-100-6000 रुपये के वेतनमान में सम्मिलित रूप से आठ वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रति-नियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा बाह्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। 	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7. रीडर (रिवाइजर का पद रीडर के साथ मिला दिया गया है तथा रीडर के रूप में पुनर्पदाभित किया गया है)।	एक सौ तैवालीस (143) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (उच्चकुशल श्रेणी-1), अराजपत्रित, अननुसूचितीय।	4000-100-6000 रुपये।	अवधन।	सागू नहीं होता।	अद्वयारह से सत्ताईस वर्ष के बीच (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा शिथिल कर के पैंतीस वर्ष तक को जा सकती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दशा में पांच वर्ष और शिथिल को जा सकती है।)	<p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।</p> <p>(ii) प्रूफ रीडिंग चिन्हित करने की जानकारी।</p> <p>(iii) हिन्दी एवं अंग्रेजी में दक्षता और एक क्षेत्रीय भाषा में दक्षता जिसका मुद्रणालय में प्रयोग होता है।</p> <p>(iv) किसी ख्याति प्राप्त मुद्रणालय में प्रूफ रीडिंग का दो वर्ष का अनुभव।</p>

टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा बिले का पांगी उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्ष्यद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति को दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
आयु - नहीं। अर्हता - हाँ।	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकते पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	<p>प्रोन्नति:-</p> <p>(i) पचपन प्रतिशत रिक्तियों को 3050-75-3950-804590 रुपये के वेतनमान में ऐसी कापी होल्डर की श्रेणी से ज्येष्ठता के आधार पर भरा जायेगा जिन्होंने मुद्रण निदेशालय द्वारा संचालित व्यावसायिक परीक्षण जिसे रीडरशिप परीक्षा कहा जाता है, में अहर्ता प्राप्त करने के अध्ययधीन रहते हुए उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>(ii) पैतालीस प्रतिशत रिक्तियों को मुद्रण निदेशालय द्वारा संचालित रीडरशिप परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार पर भरा जायेगा।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा थाइय सदस्य जिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। 	लागू नहीं होता।
			<p>प्रतिनियुक्ति:-</p> <p>केन्द्रीय सरकार (जिसके अन्तर्गत विभाग भी सम्मिलित है) के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) जो 4000-100-6000 रुपये के वेतनमान में रीडर के पद पर नियमित आधार पर धारण किए हुए हों।</p>		
			<p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रति-नियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8. कापी होल्डर ।	143 (एक सौ तैंतालीस) (कार्यभार के अनुरूप परिवर्तन के अधीन) ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' (कृश्ल), अराजपत्रित, अनुसूचिणीय ।	3050-75- 3950-80- 4590 रुपये ।	अवयव ।	लागू नहीं होता ।	अद्वयारह से सत्ताईस वर्ष के बीच (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अध्यक्षियों को उच्च आयु सीमा शिथिल कर के पैंतीस वर्ष तक की जा सकती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में पांच वर्ष और शिथिल की जा सकती है।)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, से स्नातक (iii) हिन्दी एवं अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा विषय में मुद्रणालय में मुद्रण किया जाता है का ज्ञान। (vi) किसी छात्राति प्राप्त मुद्रणालय या संस्थान में प्रूफ रीडिंग का दो वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अध्यक्षियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अध्यक्षियों के लिए विहित की गई हैं)। रोजगार कार्यलयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यलयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
आए - नहीं । शैक्षिक अर्हता - हैं ।	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	अन्य मुद्रणालयों से सौ प्रतिशत आमेलन द्वारा जिसके न हो सकें, पर, (i) नब्बे प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ; (ii) दस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा । टिप्पण:- रिक्तियों को पहले उसी मुद्रणालय से आमेलन द्वारा भरा जाना है तत्पश्चात् भारत सरकार के अन्य मुद्रणालयों से स्थानान्तरण द्वारा भरा जाना है।	आमेलन:- 'छ: महीने के सफल प्रशिक्षण तथा व्यावसाय परीक्षण के पश्चात् भारत सरकार के अन्य मुद्रणालयों से कम्पोजिटर श्रेणी-II के आमेलन द्वारा। प्रोन्नति:- 2550-55-2660-60-3200 रुपये के वेतनमान में समूह 'ब' के ऐसे औद्योगिक कर्मचारी जो किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या बोर्ड से मैट्रिकुलेट या समकक्ष हो और जिन्होंने व्यावसाय परीक्षण में अहर्ता प्राप्त करने के अध्ययधीन रहते हुए, पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा बाह्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9.	प्रधान मैकेनिक (मुद्रण एवं जिल्दसाजी)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (पर्यवेक्षीय), आरक्षपत्रित, परिवर्तन किया जा सकता है।	4500-125-7000 रुपये।	अवयव।	लागू नहीं होता।	अठ्ठारह से सत्राईस वर्ष के बीच (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा शिथिल कर के पैंतीस वर्ष तक की जा सकती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में पांच वर्ष और शिथिल की जा सकती है।)	अनिवार्य:- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से यांत्रिकी या वैद्युत या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। (ii) किसी छात्रा प्रान्त संस्था या मुद्रणालय में मुद्रण तथा उससे सहबद्ध उपस्करों के रख-रखाव/परम्पत करने का तीन वर्ष का अनुभव।
						टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	
						वाछंणीय:- (i) मुद्रण तथा जिल्दसाजी उपस्करों में प्रयोग होने वाले वैद्युत/इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों की जानकारी। (ii) मुद्रण तथा जिल्दसाजी उपस्करों / मशीनों का निर्माण करने वाली किसी निर्माता इकाई में कार्य का अनुभव।	टिप्पण:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या संक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामलों में शिथिल की जा सकती है (है) जब चयन की किसी प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या संक्षम प्राधिकारी की राय यह है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरे के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	सौधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	<p>प्रोन्नति:- 4000-100-6000 रुपये के वेतनमान में ऐसे मैकेनिक (मुद्रण एवं जिल्दसाजी) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति:- केंद्रीय सरकार (जिसके अन्तर्गत विभाग भी सम्मिलित है) के ऐसे अधिकारी: (क) 4500-125-7000 रुपये के वेतनमान में ऐसा प्रधान मैकेनिक (मुद्रण एवं जिल्दसाजी) जो नियमित आधार पर पद धारण किए हो या (ख) 4000-100-6000 रुपये के वेतनमान में ऐसा मैकेनिक (मुद्रण एवं जिल्दसाजी) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काइर पद पर प्रति-नियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का। ऐसा बाह्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। 	लागू नहीं होता।

(6)

(7)

(8)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10. मैकेनिक (मुद्रण एवं चित्रदस्तावेज)।	तिरसठ (63) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अतिरिक्त श्रेणी-1), अराजपत्रित, अननुसूचित।	4000-100-6000 रुपये।	अचयन।	लागू नहीं होता।	अव्यवहार से सप्ताहस वर्ष के बीच (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अधिकारियों को उच्च आयु सीमा शिथिल कर के पैंतीस वर्ष तक को जा सकती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में पांच वर्ष और शिथिल की जा सकती है।)	अनिवार्य:- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से यात्रिकी या वैद्युत या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। (ii) किसी छात्राणि प्राप्त संस्था या मुद्रणालय में मुद्रण तथा उससे सहबद्ध उपकरणों के रख-रखाव/परिष्कार का दो वर्ष का अनुभव।

नोट:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के स्पाहोल और स्पीति जिले तथा चम्पा बिले का पंगो उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति को दशा में आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से ग्राम भेजने के लिए कहा गया है।

टिप्पण:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामलों में शिथिल की जा सकती है (है) जब चयन की किसी प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की राय यह है कि उनके लिए अपरिचित रिक्रितियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	सौधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	<p>भारत सरकार मुद्रणालय से सौ प्रतिशत आर्सेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर-</p> <p>(i) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा,</p> <p>(ii) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा।</p>	<p>आर्सेलन:- ऐसा नियमित मैकेनिक (सेकैनिक्ल कम्पोजिं) जिसने छः महीने के प्रशिक्षण तथा आफसेट, जिल्दसाजी से सम्बद्ध उपस्करों/मशीनरी में व्यावसाय परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।</p> <p>प्रोन्नति:- 3050-75-3950-80-4590 रुपये के वेतनमान में ऐसा सहायक मैकेनिक (मुद्रण एवं जिल्दसाजी) जिसने उस श्रेणी में व्यवसाय परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अध्यक्षीन रहते हुए, आठ वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति:- केन्द्रीय सरकार (जिसके अन्तर्गत विभाग भी सम्मिलित है) के ऐसे अधिकारी: (क) 4000-100-6000 रुपये के वेतनमान में जो मैकेनिक (मुद्रण एवं जिल्दसाजी) का पद पर नियमित आधार पर धारण किये हुए हो, (ख) 3050-75-3950-80-4590 रुपये के वेतनमान में ऐसा सहायक मैकेनिक (मुद्रण) जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा व्यवसाय परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अध्यक्षीन पूरी की हो।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पर पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <p>1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष</p> <p>2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य</p> <p>3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य</p> <p>4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा बाह्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है।</p>	लागू नहीं होता।
<p>टिप्पण:- रिक्रिटियों को पहले उसी मुद्रणालय से आर्सेलन द्वारा भरा जाना है तत्पश्चात् भारत सरकार के अन्य मुद्रणालयों से स्थानान्तरण द्वारा भरा जाना है।</p>					

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

अनिवार्य:-

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से यात्रिकी या बैचुल या एलैक्ट्रानिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।
- (ii) किसी छात्राणि प्राप्त संस्था या मुद्रणालय में मुद्रण तथा उससे संबंधित उपकरणों के रख-रखाव/परम्पत का दो वर्ष का अनुभव।

अवधारण से सहाईस वर्ष के नीच (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा शिथिल कर के फ़ैसल वर्ष तक की जा सकती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में पांच वर्ष और शिथिल की जा सकती है।)

चयन।

3050-75-
3950-80-4590
रुपये।

साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (कृषाल), परिवर्तन किया जा सकता है। अनुसूचित।

सहायक मैकेनिक (मुद्रण एवं चिह्नसजी)।

* टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लडाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पॉली उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(iii) प्रिंटिंग उद्योग (लाइनों/मोने और कार्टिग मशीन के प्रकार से भिन्न) जिसमें लैथे और अन्य मशीनों के कलपुर्जों के नाम पढ़ने की योग्यता तथा आफसेट और अन्य मशीनों की कर्मशाला और सर्विस और रखरखाव का ज्ञान।

टिप्पण:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या संघम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामलों में शिथिल की जा सकती है (है) जब चयन की किसी प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या संघम प्राधिकारी की राय यह है कि उनके लिए आरक्षित अनुभव रखने वाले उन भूतने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(9)

लागू नहीं होता।

(10)

सीधे भर्ती किए गए सौ प्रतिशत सीधो भर्ती द्वारा
व्यक्तियों के लिए बिसके न हो सकने पर
दो वर्षों के लिए अपिलानु द्वारा।

(11)

आमेसन :-

भारत सरकार के मुद्रणालयों के सहायक मैकेनिक (मैकेनिकल
कम्पोजिंग) जिन्होंने छः महीने के प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक
परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हों।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित
होंगे:

1. भारत सरकार मुद्रणालय के
महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष
2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारसाथक — सदस्य
3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य
4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग
का ऐसा बाह्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का
मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित
जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया
जाना है।

(13)

(14)

लागू नहीं होता।

(6)

(7)

(6)

(6)

(4)

(3)

(2)

(1)

12. विजली मिलनी।	छब्बीस (26) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अतिरिक्त श्रेणी-II), अराजपत्रित, अननुसिचवीय।	4000-100-6000 रुपये।	अचयन।	लागू नहीं होता।	अन्वयार्थ:- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से वैद्युत या इलेक्ट्रिकी में डिप्लोमा। (ii) वैद्युत परीक्षी का योग्यता प्रमाणपत्र। (iii) भूमिगत केबल प्रणाली सहित विभिन्न प्रकार के उच्च दाय तथा निम्न दाय वाले वैद्युत प्रतिष्ठान के रख-रखाव/प्रचालन का दो वर्ष का अनुभव।
------------------	---	---	----------------------	-------	-----------------	--

टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले का पांगी उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विलि की गई है)। रोजगार कार्यलयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यलयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(iv) वैद्युत प्रतिष्ठान के रख-रखाव का ज्ञान।
टिप्पण:-अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामलों में शिथिल की जा सकती है (है) जब चयन की किसी प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की राय यह है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लंगू नहीं।	(10) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	(11) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके अभाव में प्रतियुक्ति द्वारा, (ii) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके अभाव में प्रोन्नति द्वारा।	(12) प्रोन्नति:- 3050-75-3950-80-4590 रुपये के वेतनमान में ऐसा वायसैन जिसने उस श्रेणी में व्यावसाय परीक्षण में अहर्ता प्राप्त करने के अध्यक्षीन रहते हुए, आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। प्रतियुक्ति:- केन्द्रीय सरकार (जिसके अन्तर्गत विभाग भी सम्मिलित है) के अधिकारी: (क) जो बिजली निस्त्री के पद पर 4000-100-6000 रुपये के वेतनमान में नियमित सेवा सहित पद धारण किए हो। (ख) वायसैन के पद पर रुपये 3050-75-3050-4590 के वेतनमान में उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो उनके व्यवसायिक परीक्षण में अहर्ता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए। (प्रतियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रति-नियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	(13) समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगें: 1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा बाह्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है।	(14) लंगू नहीं होता।

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

13. वायरमैन।

आठ (8) साधारण केन्द्रीय
(कार्यभार के सेवा, समूह 'ग'
आधार पर (कुराल),
परिवर्तन किया आराजपत्रित,
जा सकता है)। अननुसूचितबीच।

3050-75-
3950-80-
4590 रुपये।

अद्यतन।

लागू नहीं होता।

अद्वारह से सत्ताईस वर्ष के बीच
(सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त के लिए विभागीय
अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा शिथिल
कर के पैंतीस वर्ष तक की जा सकती है।
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित
जनजातियों की दशा में पांच वर्ष और शिथिल
की जा सकती है।)

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से वैद्युत या इलेक्ट्रॉनिकी में डिप्लोमा।
(ii) वैद्युत कर्मकार का अनुज्ञापत्र।
(iii) कर्मकार योग्यता प्रमाणपत्र या वैद्युत श्रमिक/इलेक्ट्रीकल वर्कमैन अनुज्ञापत्र (योग्यता प्रमाणपत्र श्रेणी-II) या अन्य कोई समकक्ष प्रमाणपत्र तथा इस क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।

टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
जाए नहीं होगा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	(i) रजिस्ट्रार प्रतियोगिता प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकते न; प्रतिनिधिक द्वारा, (ii) पंचवत्सर प्रतियोगिता जोधरी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकते पर प्रोन्नति द्वारा।	प्रोन्नति:- 2550-55-60-3200 रुपये के वेतनमान में ऐसा इलेक्ट्रिकल खलासी जिसने उस श्रेणी में व्यावसाय परीक्षण में अहर्ता प्राप्त करने के अध्ययन रहते हुए, आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। प्रतिनियुक्ति:- केंद्रीय सरकार (जिसके अन्तर्गत विभाग भी सम्मिलित है) के ऐसे अधिकारी: (ख) 3050-75-3050-4590 रुपये के वेतनमान में ऐसा वायसैन नियमित सेवा सहित पद धारण किए हुए हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रति-नियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा बाह्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14. इलेक्ट्रीकल खलासी।	छ: (6) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, स्मूड 'ब' (अकुरुशल) अराजपत्रित, अननुसर्बिधीय।	2550-55-2600-60-3200 रुपये।	चयन।	लागू नहीं होता।	अठ्ठारह से सत्तरस वर्ष के बीच (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा स्थित कर के पैंतीस वर्ष तक की जा सकती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में पांच वर्ष की और स्थितिलन की जा सकती है।)	<p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या बोर्ड से भेट्रक (10वीं कक्षा) उत्तीर्ण।</p> <p>(ii) वैद्युत या इलेक्ट्रिकली क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>(iii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र।</p> <p>टिप्पण:-अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हतायें) संव लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या संक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामलों में स्थितिल की जा सकती है (है) जब चयन की किसी प्रक्रिया में संव लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या संक्षम प्राधिकारी की राय यह है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>
						<p>टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लहाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>	

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सौ प्रतियोगिता सीधे भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता।	<p>समूह 'ब' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा बाह्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। <p>इस संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण और प्रिंटिंग निदेशालय द्वारा जारी सुसंगत अनुदेशों का कठोरता से पालन किया जाएगा।</p>	लागू नहीं होता।

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

15. वेरुडर।	चार (4) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (कुशल) अराजपत्रित, अनुसूचितवीथी।	3050-75-3950-80-4590 रुपये।	चयन।	लागू नहीं होता।	अक्टूबर से सत्राईस वर्ष के बीच (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा शिथिल कर के पैंतीस वर्ष तक की जा सकती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में पांच वर्ष और शिथिल की जा सकती है।)	अनिवार्य:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या बोर्ड से मैट्रिक (10वीं कक्षा) उत्तीर्ण। (ii) बैरिस्टिंग व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र। (iii) व्यवसाय में तीन वर्ष का अनुभव।
-------------	--	--	-----------------------------	------	-----------------	---	--

टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा बिले का पंगी उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं)। रोजगार कार्यलयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

टिप्पण:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हता) संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामलों में शिथिल की जा सकती है (है) जब चयन की किसी प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी को राय यह है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भले के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	सिधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सौ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<p>प्रतिनियुक्ति:- केन्द्रीय सरकार (जिसके अन्तर्गत विभाग भी सम्मिलित है) का अधिकारी: (क) 3050-75-3950-80-4590 रुपये के वेतनमान में ऐसा वेरुडर जो नियमित सेवा सहित पद धारण किए हुए हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रेन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा बाह्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। 	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16. बड़ई।	बारह (12) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' (चुशल) अराज्यप्रति, अननुसूचित।	3050-75-3950-80-4590 रुपये।	चयन।	सागू नहीं होता।	अद्वारह से सत्ताईस वर्ष के बीच (सौथी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा शिथिल कर के पैंतीसवर्ष तक की जा सकती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दशा में पांच वर्ष की और शिथिलता की जा सकती है।)	<p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या बोर्ड से भेटिक (10वीं कक्षा) उत्तीर्ण</p> <p>(ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र</p> <p>(iii) व्यवसाय में तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या संक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामलों में शिथिल की जा सकती है (है) जब चयन की किसी प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या संक्षम प्राधिकारी की राय यह है कि उनके लिए अराज्यप्रति अभ्यर्थियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>
						<p>टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिले तथा चम्पा जिले का पांगी उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं)।</p> <p>रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>	

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सो प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<p>प्रतिनियुक्ति:- केन्द्रीय सरकार (जिसके अन्तर्गत विभाग भी सम्मिलित है) के ऐसे अधिकारी: (क) 3050-75-3950-80-4590 रुपये के वेतनमान में ऐसा बड़ई जो नियमित सेवा सहित पद धारण किए हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रति-नियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भारत सरकार, मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा बाह्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। 	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17. टुक बालक (भारीवाहन)।	पांच (5) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (कृशल) अराजपत्रित, अननुसिचवीय।	3050-75-3950-80-4590 रुपये।	अचयन।	लागू नहीं होता।	अद्वारा से सत्राईस वर्ष के बीच (सीधे भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा स्थित कर के पैंतीस वर्ष तक की जा सकती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में पांच वर्ष और स्थित की जा सकती है।)	<p>(i) कि सी मान्यता प्राप्त विद्यालय या बोर्ड से मैट्रिक (10वीं कक्षा) उत्तीर्ण।</p> <p>(ii) मोटर वाहन चलाने का पांच वर्ष का अनुभव।</p> <p>(iii) भारी मोटर-वाहन चलाने का अपेक्षित विधिमन्त्र चालन अनुज्ञापि।</p> <p>(iv) ओटो मोनाइल का ज्ञान।</p>
						<p>टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले का पांगी उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों के नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>	<p>टिप्पण:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या संक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामलों में स्थित की जा सकती है (है) जब चयन की किसी प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या संक्षम प्राधिकारी की रय यह है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्वीत संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
सागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सौ प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर में प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	<p>प्रोन्नति:- 2650-65-3300-70-4000 रुपये के वेतनमान में ऐसा आटो ट्रक ड्राइवर जिन्होंने उस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर आटो ट्रक चालक जिसने उस श्रेणी में तथा क्लीनर चालक श्रेणी में व्यावसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के अध्यक्षीन रहते हुए कुल छः वर्ष सेवा की हो और भारी वाहन चालक अनुज्ञप्ति धारक होना आवश्यक है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति:- केन्द्रीय सरकार (जिसके अन्तर्गत विभाग भी सम्मिलित है) के ऐसे अधिकारी: (क) 3050-75-3950-88-4590 रुपये के वेतनमान में पर धारण किए गए ट्रक ड्राइवर (भारी गाड़ी/ हल्की गाड़ी) जिसने उस श्रेणी में नियमित सेवा की हो या (ख) 2650-65-3300-70-4000 के वेतनमान में ऐसा आटो ट्रक ड्राइवर जिसने व्यावसाय परीक्षण में उत्तीर्ण होने के अध्यक्षीन रहते हुए, चार वर्ष की नियमित सेवा की हो और भारी गाड़ी के लिए चालन अनुज्ञप्ति से धारक होना आवश्यक है।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भारत सरकार, मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकारी किसी विभाग का ऐसा बाह्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। 	सागू नहीं होता।
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
सागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सौ प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर में प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	<p>प्रोन्नति:- 2650-65-3300-70-4000 रुपये के वेतनमान में ऐसा आटो ट्रक ड्राइवर जिसने उस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर आटो ट्रक चालक जिसने उस श्रेणी में तथा क्लीनर चालक श्रेणी में व्यावसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के अध्यक्षीन रहते हुए कुल छः वर्ष सेवा की हो और भारी वाहन चालक अनुज्ञप्ति धारक होना आवश्यक है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति:- केन्द्रीय सरकार (जिसके अन्तर्गत विभाग भी सम्मिलित है) के ऐसे अधिकारी: (क) 3050-75-3950-88-4590 रुपये के वेतनमान में पर धारण किए गए ट्रक ड्राइवर (भारी गाड़ी/ हल्की गाड़ी) जिसने उस श्रेणी में नियमित सेवा की हो या (ख) 2650-65-3300-70-4000 के वेतनमान में ऐसा आटो ट्रक ड्राइवर जिसने व्यावसाय परीक्षण में उत्तीर्ण होने के अध्यक्षीन रहते हुए, चार वर्ष की नियमित सेवा की हो और भारी गाड़ी के लिए चालन अनुज्ञप्ति से धारक होना आवश्यक है।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भारत सरकार, मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकारी किसी विभाग का ऐसा बाह्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। 	सागू नहीं होता।

(6)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

18. टुक बालक (हल्का बालक)।	पन्द्रह (15) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण कोन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (कुराल) अलगभगत्रिंशत्, अगस्तुसिधवीय।	3050-75-3950-80-4390 रुपये।	अवधन।	रखा नहीं होता।	अस्तरह से सत्ताईस वर्ष के बीच (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अधिकारियों को उच्च आयु सीमा शिथिल कर के पैंतीस वर्ष तक की जा सकती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में पांच वर्ष की और शिथिलता की जा सकती है।)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या बोर्ड से मैट्रिक (10वीं कक्षा) उत्तीर्ण। (ii) मोटर-वाहन चलाने का पांच वर्ष का अनुभव। (iii) हल्के मोटर-वाहन चलाने के लिए अपेक्षित विधिमाम्य चालन-अनुज्ञापिका। (iv) ओटो-मोबाइल का ज्ञान।
----------------------------	--	--	-----------------------------	-------	----------------	--	--

टिप्पणः-अनुभव संबंधी उर्हता (जर्हतायें) संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग-या संक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या जनजातियों के अर्हियों के मामलों में शिथिल की जा सकती है (है) जब चयन की किसी प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या संक्षम प्राधिकारी की राय यह है कि उनके लिए आर्हित रिक्तियों की भरने के लिए अर्हित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अर्हियों के पर्याय संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

टिप्पणः- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अर्हियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लहाब खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्केति जिले तथा चम्बा जिले का पूर्वी उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अर्हियों के लिए विहित की गई है)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए गये व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सौ प्रतिशत प्रोन्नति प्राप्त करने पर प्रतियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	<p>प्रोन्नति:- 2650-65-3300-70-4000 रुपये के वेतनमान में ऐसा आटो ट्रक ड्राइवर जिन्होंने इस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर आटो ट्रक ड्राइवर जिन्होंने इस श्रेणी में तथा क्लीनर चालक श्रेणी में कुल छः वर्ष सेवा की हो, उनके व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण करने के अधीन भारी मोटर वाहन चलाने हेतु चालक अनुज्ञप्ति से युक्त होना आवश्यक है।</p> <p>प्रतियुक्ति:- केन्द्रीय सरकार (जिसके अन्तर्गत विभाग भी सम्मिलित है) का अधिकारी;</p> <p>(क) जो ट्रक ड्राइवर (भारी गाड़ी/हल्की गाड़ी) के पद पर रुपये 3050-75-3950-80-4590 के वेतनमान में नियमित सेवा सहित पद धारण किए हों।</p> <p>(ख) आटो ट्रक ड्राइवर के पद पर रुपये 2650-65-3300-70-4000 के वेतनमान में उस श्रेणी में व्यवसायिक परीक्षण में उत्तीर्ण होने के अव्ययधीन रहते हुए, चार वर्ष की नियमित सेवा की हो, भारी वाहन के चालन अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है।</p> <p>(प्रतियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काबज पद पर प्रति-नियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारसाथक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. मुद्रणालयों के कार्य का ज्ञानकार किसी विभाग का ऐसा बाह्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। 	लागू नहीं होता।

(6)

(7)

(8)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19. आठे टुक चालक।	बीस (20) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ब' (अर्ध-कुशल) अराज्यप्रतिष्ठ, अननुसूचितबीय।	2650-65-3300-70-4000 रुपये।	अद्ययन।	लागू नहीं होता।	अष्टादश से सत्ताईस वर्ष के बीच (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा शिथिल कर के पैंतीस वर्ष तक की जा सकती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में पांच वर्ष और शिथिल की जा सकती है।)	अनिवार्य:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या बोर्ड से मैट्रिक (10वीं कक्षा) उत्तीर्ण। (ii) मोटर वाहन चलाने का दो वर्ष का अनुभव। (iii) मोटर-वाहन चलाने का अपेक्षित चालन अनुज्ञापत्र से धारक हो।
						टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले का पांगी उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	
						टिप्पण:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या संसद प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामलों में शिथिल की जा सकती है (है) जब चयन की किसी प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या संसद प्राधिकारी की राय यह है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरे के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पयोग संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	

(9)

लागू नहीं होता।

सौधे भर्ती किए
व्यक्तियों के लिए
दो वर्ष।

सौ प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके
न हो सकने पर में प्रतिनियुक्ति
द्वारा, दोनों के न हो सकने में
सीधी भर्ती द्वारा।

(11)

प्रोन्नति:-

2610-60-3150-3540 रुपये के वेतनमान में ऐसा क्लोनीनर
ड्राइवर जिन्होंने इस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो या
श्रमिक जिन्होंने व्यावसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के
अध्ययधीन रहते हुए, उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की
हो, चालन अनुज्ञप्ति से धारक होना आवश्यक है।

प्रतिनियुक्ति:-

केन्द्रीय सरकार (जिसके अन्तर्गत विभाग भी सम्मिलित है)
के ऐसे अधिकारी:

(क) आठों टुक ड्राइवर के पद पर रुपये
2650-65-3300-70-4000 के वेतनमान में नियमित सेवा
सहित पद धारण किए हो।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार
के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के
ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर पद पर प्रतिनियुक्ति की
अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(12)

(13)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित
होंगे:

1. भारत सरकार मुद्रणालय के
महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष
2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य
3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य
4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग
का ऐसा बाह्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का
मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित
जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया
जाना है।

(14)

लागू नहीं होता।

(6)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

20. क्वीनर ड्रइवर।	तीन (3) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ब' (अर्थ-कुशल) अराजपत्रित, अननुसंधीय।	2610-60-3150-70-3540 रुपये।	चयन।	लागू नहीं होता।	अष्टारह से सत्ताईस वर्ष के बीच (सौथी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा शिथिल कर के पैंतीस वर्ष तक की जा सकती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में पांच वर्ष और शिथिल की जा सकती है।)	(i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (10वीं कक्षा) उत्तीर्ण की हो। (ii) सरूप हैंसियत में तीन वर्ष का अनुभव। (iii) मोटर-यानों को चलाने का अपेक्षित चालान अनुज्ञापित धारक होना चाहिए।
--------------------	--	--	-----------------------------	------	-----------------	---	--

टिप्पण:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या संक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामलों में शिथिल की जा सकती है (है) जब चयन की किसी प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या संक्षम प्राधिकारी की राय यह है कि उनके लिए अपेक्षित शिक्षितों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले का पांगी उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सौ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे:	लागू नहीं होता।
				<ol style="list-style-type: none"> 1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारसाथक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा बाह्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। 	

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

21. ज्येष्ठ कलाकार।	बारह (12) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	संभारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (तकनीकी पदवर्ष) अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	5500-175-9000 रुपये।	अचयन।	लागू नहीं होता।	अष्टादश से सत्ताईस वर्ष के बीच (सौथी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए शिभागीय अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा शिथिल कर के पैंतीस वर्ष तक की जा सकती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में पांच वर्ष की और शिथिलता की जा सकती है।)	(i) ललित कला या वाणिज्यिक कला या ग्राफिक डिजाइन में स्नातक के साथ वाणिज्यिक डिजाइन, लेखावित्र अभिन्यास, बनाने का दो वर्ष का अनुभव या ललित कला या वाणिज्यिक कला में डिप्लोमा के साथ वाणिज्यिक डिजाइन, अभिन्यास बनाने का तीन वर्ष का अनुभव तथा
---------------------	---	---	----------------------	-------	-----------------	--	--

(ii) व्यावसाय परीक्षण में अर्हता।
 (iii) अंग्रेजी तथा हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान या जिस भाषा में मद्रणालय में कार्य किया जा रहा है उनमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान।
 टिप्पण:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या संक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामलों में शिथिल की जा सकती है (है) जब चयन की किसी प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या संक्षम प्राधिकारी की राय यह है कि उनके लिए अपेक्षित अनुभव प्राप्त रिक्रिटों को देने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के प्रभाव संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले का पूर्वी उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप का लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्दिष्ट की गई है)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	सौधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	(i) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, (ii) पचास प्रतिशत सौधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा।	<p>प्रोन्नति:- 5000-150-8000 रुपये के वेतनमान में ऐसे कनिष्ठ कलाकार जिन्होंने उस श्रेणी में व्यावसाय परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अध्यक्षीन रहते हुए, पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>प्रतिनियुक्त:- केंद्रीय सरकार (जिसके अन्तर्गत विभाग भी सम्मिलित है) के ऐसे अधिकारी: (क) 5500-175-9000 रुपये के वेतनमान में ऐसा ज्येष्ठ कलाकार जो नियमित आधार पर पद धारण किए हो, या (ख) 5000-150-8000 रुपये के वेतनमान में ऐसा कनिष्ठ कलाकार जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रति-नियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारसाथक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा बाह्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। 	लागू नहीं होता।

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

22.	कनिष्ठ कलाकार।	(18) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' (मास्टर क्राफ्ट्समैन) अराजपत्रित, अननुसूचित।	5500-175-9000 रुपये।	चयन।	लागू नहीं होता।	(i) ललित कला या वाणिज्यिक कला या ग्राफिक डिजाइन में डिग्री के साथ ग्राफिक डिजाइन में एक वर्ष का अनुभव या (ii) ललित कला या वाणिज्यिक कला अभिन्यास में डिप्लोमा के साथ वाणिज्यिक ग्राफिक डिजाइन तैयार करने का दो वर्ष का अनुभव तथा
-----	----------------	--	---	----------------------	------	-----------------	--

(iii) एक क्षेत्रीय भाषा जिसमें कार्य किया जाना है तथा अंग्रेजी एवं हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान

(iv) व्यावसाय परीक्षण में अर्हता।

टिप्पण:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या संक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामलों में शिथिल की जा सकती है (है) जब चयन की किसी प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या संक्षम प्राधिकारी की राय यह है कि उनके लिए अपेक्षित पदवियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिले तथा चम्पा जिले का प्रांतीय उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	सौध भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सं. प्रकृत सौधो भर्ती द्वारा जिसके अभाव में प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<p>प्रतिनियुक्ति:- केन्द्रीय सरकार (जिसके अन्तर्गत विभाग भी सम्मिलित है) के ऐसे अधिकारी: (क) ऐसा कनिष्ठ कलाकार जो 5000-150-8000 रुपये की श्रेणी में नियमित आधार पर पद धारण किए हुए है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काइर पद पर प्रति-नियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोत्सति सौनति जिममें निम्नलिखित हागू हाँ हाता।</p> <p>1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक --- अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारसभक --- सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) --- सदस्य 4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा वार्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है।</p>	

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिग्री के साथ दो वर्ष का अनुभव या
- (ii) मान्यता प्राप्त मुद्रण संस्थान से मुद्रण प्रौद्योगिकी (आफसेट) में डिप्लोमा तथा किसी ख्याति प्राप्त आफसेट प्रतियुद्ध में स्कौनिंग, योजना एवं अनुरोधक का तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पण:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या संसद प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामलों में शिथिल की जा सकती है (है) जब चयन की किसी प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या संसद प्राधिकारी की राय यह है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

अद्वारह से सताईस वर्ष के बीच (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा शिथिल कर के पैंतीस वर्ष तक की जा सकती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में पांच वर्ष की और शिथिलता की जा सकती है।)

टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा कश्मीर जिले का पांगी उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। रोबगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोबगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

लागू नहीं होता।

चयन।

5500-175-
9000 रुपये।साधारण केन्द्रीय
सेवा, समूह 'ग'
(तकनीकी
पर्यवेक्षी)
अराज्यपत्रित,
अननुसूचित।इक्कीस (31)
(कार्यभार के
आधार पर
परिवर्तन किया
जा सकता है)।23. कलाकार
(अनुशोचक)।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	(i) पचास प्रतिशत सीपी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकते पर प्रोन्नति द्वारा, (ii) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकते पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<p>प्रोन्नति :- 5000-150-8000 रुपये के वेतनमान में ऐसा सहायक अनुशोधक कलाकार जिन्होंने उस श्रेणी में व्यावसाय परीक्षण में अर्हता के अध्ययधीन रहते हुए, पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति :- केन्द्रीय सरकार (जिसके अन्तर्गत विभाग भी सम्मिलित है) के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) ऐसा अनुशोधक कलाकार जो 5500-175-9000 रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर पद धारण किए हो, या</p> <p>(ख) ऐसा सहायक अनुशोधक कलाकार जिसने वेतनमान 5000-150-8000 रुपये की श्रेणी में व्यवसाय परीक्षण में अर्हता के अध्ययधीन रहते हुए पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काष्ठर पद पर प्रति-नियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का बाह्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। 	लागू नहीं होता।

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

24. सहायक कलाकार (अनुशोधक)।

ब्यालीस (42) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।

साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (मास्टर क्राफ्ट्समैन) अराजपत्रित, (अनुशोधक)।

5000-150-8000 रुपये।

चयन।

लागू नहीं होता।

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिग्री के साथ एक वर्ष का अनुभव या

(ii) मान्यता प्राप्त मुद्रण संस्थान से मुद्रण प्रौद्योगिकी (ऑफसेट) में डिप्लोमा या समतुल्य और किसी छात्राति प्राप्त फोटोलिथो स्थापन में स्कैनिंग, योजना एवं अनुशोधन का दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या संक्षेप प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामलों में शिथिल की जा सकती है (है) जब चयन की किसी प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या संक्षेप प्राधिकारी की राय यह है कि उनके लिए अरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

अद्वारह से सत्ताईस वर्ष के बीच (सीधे भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थियों की उच्च आयु सीमा शिथिल कर के पैंतीस वर्ष तक की जा सकती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में पांच वर्ष की और शिथिलन की जा सकती है।)

टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले का पांगी उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लगू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सौ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्त द्वारा।	प्रतिनियुक्ति:- केन्द्रीय सरकार (जिसके अन्तर्गत विभाग भी सम्मिलित है) के ऐसे अधिकारी: (क) 5000-150-8000 रुपये के वेतनमान में नियमित सेवा सहित ऐसा सहायक अनुशोधक जिसने कलाकार का पद धारण किया हो। (प्रतिनियुक्ति को अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रति-नियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा बाह्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।	लगू नहीं होता।

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा।
(ii) प्रोसेस कैमरा के संचालन का तीन वर्ष का अनुभव।

अक्टूबर से सत्राईस वर्ष के बीच (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा निर्धारित कर के पैंतीस वर्ष तक की जा सकती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में पांच वर्ष और निर्धारित की जा सकती है।)

लागू नहीं होता।

अव्यय।

4500-125-
7000 रुपये।

साधारण सेवा, सहायक (अति कुरात श्रेणी-II) आरक्षक पर परिचालन किया जा सकता है।
अराजकपत्रित, अनुसूचितवर्गीय।

25. कैमरा सैन।

टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले का पंगी उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	(i) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा, (ii) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<p>प्रोन्नति:- 4000-100-6000 रुपये के वेतनमान में ऐसा डार्कलूम सहायक जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो या ऐसा ऑफसेट प्लेट मेकर जिसने उस श्रेणी में व्यवसाय परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अध्ययधीन रहते हुए, पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति:- केन्द्र सरकार (जिसके अन्तर्गत विभाग भी सम्मिलित है) के अधिकारों:- (क) 4500-150-7000 रुपये के वेतनमान में ऐसा कैम्पेन जो नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हो। (ख) ऑफसेट प्लेट मेकर या डार्कलूम सहायक के पद पद पर 4000-100-6000 रुपये के वेतनमान की श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काइर पद पर प्रति-नियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा बाह्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। 	लागू नहीं होता।

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

26. डाकूल्म असिस्टेन्ट।	तीस (30) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अति कुशल श्रेणी-II) अग्रजपत्रित, अनुसूचिणीय।	4000-100-6000 रुपये।	अचयन।	लागू नहीं होता।	अठ्ठारह से सप्ताईस वर्ष के बीच (सौधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विधायीय अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा शिक्षित कर के पैंतीस वर्ष तक की जा सकती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दशा में पाँच वर्ष और शिक्षित की जा सकती है।)	अनिवार्य:- (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा। (ii) प्रोसेस कैमरा के प्रचालन का दो वर्ष का अनुभव।	(8)
-------------------------	---	---	----------------------	-------	-----------------	---	--	-----

टिप्पणी:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) संबंध लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या संश्लेष प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामलों में शिक्षित की जा सकती है (है) जब चयन की किसी प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या संश्लेष प्राधिकारी की रण्य यह है कि उनके लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

टिप्पणी:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले का पॉंगी उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<p>विद्यमान अपेक्ष के सिवाए जिसके लिए कोई अधिकतम सीमा अयोग्य नहीं है, स्थानान्तरित या आमोदित व्यक्तियों के लिए आयु सीमा पैंतालीस (45) वर्ष तथा ऐसे मुद्रणालय में जहाँ पैंतालीस (45) वर्ष तक आयु के स्थानान्तरित व्यक्ति उपलब्ध नहीं है वहाँ आयु सीमा शिथिल करके पचास (50) वर्ष तक की जा सकती है।</p>	<p>सोधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।</p>	<p>अन्य मुद्रणालयों से आमोदन द्वारा सौ प्रतिशत विसर्ग न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण:- रिक्तियों को पहले उसी मुद्रणालय से आमोदन द्वारा भरा जाना है तत्पश्चात् भारत सरकार के अन्य मुद्रणालयों से स्थानान्तरण द्वारा भरा जाना है।</p>	<p>आमोदन:- रीडर, कम्पोजिटर-ग्रेणी-1 छह महीने का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और व्यवसाय परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने की शर्तों पर अध्ययधीन रहते हुए आमोदन द्वारा।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा बाह्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। 	<p>लागू नहीं होता।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
27. ऑफिसेट प्लेट मेकर।	(77) सहायक केन्द्रीय कार्यभार के सेवा समूह 'ग' आधार पर (अति बुजुर्ग परिवर्तन किया श्रेणी-1) जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अति बुजुर्ग श्रेणी-1) अराज्यजित, अननुसुचिबीय।	4000-100- 6000 रुपये।	अचम्पन।	लागू नहीं होता।	अक्टूबर से सप्ताईस वर्ष के बीच (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा शिथिल कर के पैंतीस वर्ष तक की जा सकती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दशा में पांच वर्ष और शिथिल की जा सकती है।)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (दसवीं कक्षा) या समतुल्य, रसायन विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अधिमानता दी जाएगी। (ii) किसी मान्यता प्राप्त मुद्रण प्रौद्योगिकी संस्थान से मुद्रण प्रौद्योगिकी (ऑफसेट) में डिप्लोमा।
						टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के साहिल और स्पीति जिले तथा चम्पा बिले का पांगी उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	या प्लेट मेकिंग में विशु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अधीन शिक्षता सफलता पूर्वक पूरी करने के प्रमाणपत्र सहित प्लेट मेकिंग में तीन वर्ष का व्यवहारिक अनुभव।
							टिप्पण:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताओं) संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या संक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामलों में शिथिल की जा सकती है (है) जब चयन की किसी प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या संक्षम प्राधिकारी की राय यह है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<p>विद्यमान अपरेटर के सिवाए जिसके लिए कोई अधिकतम सीमा अपेक्षित नहीं है, स्थानान्तरित या आमंत्रित व्यक्तियों के लिए आयु सीमा पैंतालीस (45) वर्ष तथा ऐसे मुद्रणालय में जहां पैंतालीस (45) वर्ष तक आयु के स्थानान्तरित व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं वहां आयु सीमा शिथिल करके पचास (50) वर्ष तक की जा सकती है।</p>	<p>सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।</p>	<p>सी प्रतिशत आमेलन द्वारा जिसके न हो सकते पर-</p> <p>(i) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा,</p> <p>(ii) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा।</p> <p>टिप्पण:- रिक्तियों को पहले उसी मुद्रणालय से आमेलन द्वारा भरा जाना है तत्पश्चात् भारत सरकार के अन्य मुद्रणालयों से स्थानान्तरण द्वारा भरा जाना है।</p>	<p>आमेलन:- ऐसे जीरोक्स प्रचालक, कम्पोजिटर श्रेणी-I, लैटरप्रैस मशीनमैन छह मास का सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात् तथा व्यवसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने की शर्त के अध्यधीन रहते हुए आमेलन द्वारा।</p> <p>प्रोन्नति:- 3050-75-3950-80-4590 रुपये के वेतमान में सहायक प्लेट मेकर जिन्होंने व्यावसाय परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अध्यधीन उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा बाह्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। 	<p>लागू नहीं होता।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
28. सहायक प्लेट ग्रेड मेकर (ऑफसेट)।	चौबीस (24) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (कुराल) अराज्यप्रति, अननुसचिबीय।	3050-75-3950-80-4590 रुपये।	अवयन।	लागू नहीं होता।	अवसर से सतार्स वर्ष के बीच (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा शिथिल कर के पैंतीस वर्ष तक की जा सकती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में पांच वर्ष और शिथिल की जा सकती है।)	<p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या बोर्ड से शैतिकी एवं रसायन विज्ञान, विषयों के साथ मैट्रिकुलेशन (दसवीं कक्षा) या समतुल्य,</p> <p>(ii) ग्रेड मेकिंग में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र साथ ही तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>या</p> <p>ग्रेड मेकिंग के व्यवसाय में शिष्ट अधिनियम 1961 के अधीन शिष्टता पूरी करने के प्रमाण पत्र सहित छाति प्राप्त ऑफसेट प्रैस में पांच वर्ष कार्य करने का अनुभव।</p>
						<p>टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणांचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा बिले का पांगी उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं)।</p> <p>रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>	

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<p>विद्यमान आपरेटर के सिवाए बिसके लिए कोई अधिकतम सीमा अपेक्षित नहीं है, स्थानान्तरित या आमिलित व्यक्तियों के लिए आयु सीमा पैतालीस (45) वर्ष तथा ऐसे मुद्रणालय में जहां पैतालीस (45) वर्ष तक आयु के स्थानान्तरित व्यक्ति उपलब्ध नहीं है वहां आयु सीमा शिथिल करके पचास (50) वर्ष तक की जा सकती है।</p>	<p>सोधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।</p>	<p>सौ प्रतिशत आमेलन द्वारा बिसके न हो सकने पर सीधो भर्ती द्वारा।</p> <p>टिप्पण:- रिक्तियों को पहले उसी मुद्रणालय से आमेलन द्वारा भरा जाना है तत्पश्चात् भारत सरकार के अन्य मुद्रणालयों से स्थानान्तरण द्वारा भरा जाना है।</p>	<p>आमेलन:- ऐसे कम्पोजिटर श्रेणी-II, डिस्ट्रीब्यूटर, मशीन सहायक (लैटप्रेस), मोनो कास्टर ऑफ़ेटर, सिलेन्डर प्रूफ प्रैस-मैन, प्रैस प्रूफमैन श्रेणी-I जो छह मास के सफल प्रशिक्षण तथा व्यावसाय परीक्षण में अर्हता प्राप्त की हो।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति बिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक --- अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारसाधक --- सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) --- सदस्य 4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा ब्राह्म्य सदस्य बिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। 	<p>लागू नहीं होता।</p>

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

<p>29. डेस्क टॉप पब्लिशिंग प्रचालक टिप्पणी: फोटोटाइपसेटर आपरेटर/की बोर्ड प्रचालक भविष्य में डेस्क टॉप पब्लिशिंग प्रचालक के रूप में जाने जाएंगे।</p>	<p>दो सौ अठ्ठारह (218) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।</p>	<p>साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (मास्टर क्राफ्ट्समैन) अराजपत्रित, अननुसिचवीय।</p>	<p>4500-125-7000 रुपये।</p>	<p>अवयव।</p>	<p>अठ्ठारह से सत्राईस वर्ष के बीच (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विषमगीय अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा सिद्धित कर के वैतिस वर्ष तक को जा सकती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दरता में पांच वर्ष अतिरिक्त मिल सकती है।)</p>	<p>(i) कम्प्यूटर प्रचालन में तीन वर्ष के अनुभव के साथ मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा। (ii) हिन्दी व अंग्रेजी में टंकण का अनुभव।</p>
---	--	--	-----------------------------	--------------	--	---

टिप्पण :- आयु सीमा अन्वधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पोति बिरो तथा चम्बा जिले का पंगनी उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अन्वधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<p>विद्यमान आपरेटर के सिवाए जिसके लिए कोई अधिकतम सीमा अपेक्षित नहीं है, स्थानान्तरित या आमेलित व्यक्तियों के लिए आयु सीमा पैंतालीस (45) वर्ष तथा ऐसे मुद्रणालय में जहां पैंतालीस (45) वर्ष तक आयु के स्थानान्तरित व्यक्ति उपलब्ध नहीं है वहां आयु सीमा शिथिल करके पचास (50) वर्ष तक की जा सकती है।</p>	<p>सौधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।</p>	<p>सौ प्रतिशत आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>टिप्पण:- रिक्तियों को पहले उसी मुद्रणालय से आमेलन द्वारा भरा जाना है तत्पश्चात् भारत सरकार के अन्य मुद्रणालयों से स्थानान्तरण द्वारा भरा जाना है।</p>	<p>आमेलन:- ऐसा तकनीकी सहायक (कैरोटिड्य), लाइनो प्रचालक, मोने प्रचालक, रीडर्स एवं कम्पोजिटर श्रेणी-I जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ तथा व्यवसाय परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अभ्यर्थी रहते हुए, डेस्क टॉप पब्लिशिंग प्रचालन में छः महीने के सफल प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा बाह्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। 	<p>लागू नहीं होता।</p>

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

30.	ऑफ़िसट मशीन।	दो सौ सरस्ट (267) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (मास्टर क्राफ्ट्समैन) अराज्यप्रति, अननुसूचीय।	4500-125-7000 रुपये।	अचयन।	लागू नहीं होता।	अष्टारह से सत्ताईस वर्ष के बीच (सोधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा शिथिल कर के पैंतीसवर्ष तक की जा सकती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में पांच वर्ष और शिथिल की जा सकती है।)	अतिवार्य:- (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मुद्रण प्रौद्योगिकी (ऑफ़सेट) में डिप्लोमा। (ii) एकल और विविधरंग कार्य करने में पांच वर्ष का अनुभव। टिप्पण:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हतायें) संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामलों में शिथिल की जा सकती है (है) जब चयन की किसी प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की राय यह है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भर्ती के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।
-----	--------------	---	---	----------------------	-------	-----------------	--	---

टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिले तथा चम्पा जिले का पांगी उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<p>विद्यमान आपरेटर के सिवाए जिसके लिए कोई अधिकतम सीमा अपेक्षित नहीं है, स्थानान्तरित या आमंत्रित व्यक्तियों के लिए आयु सीमा पैतालीस (45) वर्ष तथा ऐसे मुद्रणालय में जहाँ पैतालीस (45) वर्ष तक आयु के स्थानान्तरित व्यक्ति उपलब्ध नहीं है वहाँ आयु सीमा शिथिल करके पचास (50) वर्ष तक की जा सकती है।</p>	<p>अधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।</p>	<p>सौ प्रतिशत आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर, (i) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्त द्वारा, (ii) पचास प्रतिशत सीधो भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा।</p>	<p>आमेलन:- ऐसा सैट ग्रैस का संस्थान होल्डर. (मशीन) या मशीन मैन, मशीन मैन (रेटरी), डईम चैकर (मशीन) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ और व्यवसाय परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए, ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन के प्रचालन में छह मास के सफल प्रशिक्षण की प्राप्ति किया हो।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारसाथक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा बाह्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की ध्यान में रखते हुए किया जाना है।</p>	<p>सागू नहीं होता।</p>
<p>टिप्पण:- रिक्तियों की पहले उसी मुद्रणालय से आमेलन द्वारा भरा जाना है तत्पश्चात् भारत सरकार के अन्य मुद्रणालयों से स्थानान्तरण द्वारा भरा जाना है।</p>	<p>प्रतिनियुक्ति:- भारत सरकार के अन्य मुद्रणालयों के ऑफसेट मशीनमैन जिसके न हो सकने पर भारत सरकार के अन्य मुद्रणालयों के सहायक ऑफसेट मशीनमैन, उस श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा की हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पर पर प्रति-नियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p>	<p>प्रोन्नति:- 4000-100-6000 रुपये के वेतनमान में ऐसा ऑफसेट मशीन सहायक जिसने उस श्रेणी में व्यवसाय परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अध्यक्षीन रहते हुए, पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, जिसके न हो सकने पर ऑफसेट मशीन सहायक जिसने उस श्रेणी में व्यवसाय परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अध्यक्षीन रहते हुए तथा ऑफसेट मशीन की श्रेणी में तरह (13) वर्ष की संयुक्त सेवा की हो, जिसके न हो सकने पर दोनों ऑफसेट मशीन परिचर उस श्रेणी में तरह वर्ष की व्यवसाय परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अध्यक्षीन रहते हुए, नियमित सेवा की हो।</p>	<p>प्रतिनियुक्ति:- भारत सरकार के अन्य मुद्रणालयों के ऑफसेट मशीनमैन जिसके न हो सकने पर भारत सरकार के अन्य मुद्रणालयों के सहायक ऑफसेट मशीनमैन, उस श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा की हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पर पर प्रति-नियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p>	<p>प्रतिनियुक्ति:- भारत सरकार के अन्य मुद्रणालयों के ऑफसेट मशीनमैन जिसके न हो सकने पर भारत सरकार के अन्य मुद्रणालयों के सहायक ऑफसेट मशीनमैन, उस श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा की हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पर पर प्रति-नियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p>	<p>प्रतिनियुक्ति:- भारत सरकार के अन्य मुद्रणालयों के ऑफसेट मशीनमैन जिसके न हो सकने पर भारत सरकार के अन्य मुद्रणालयों के सहायक ऑफसेट मशीनमैन, उस श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा की हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पर पर प्रति-नियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p>

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

- (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मुद्रण प्रौद्योगिकी (ऑफसेट) में डिप्लोमा।
 (ii) एकल और विविधरंग जॉबों के लिए ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन पर तीन वर्ष कार्य करने का अनुभव।
- टिप्पण:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हतायें) संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामलों में शिथिल की जा सकती है (है) जब चयन की किसी प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी को राय यह है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरे के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

अठ्ठारह से सत्ताईस वर्ष के बीच (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थियों को) उच्च आयु सीमा शिथिल कर के पैंतीस वर्ष तक की जा सकती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में पांच वर्ष और शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले का प्रांी उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

लागू नहीं होता।

अचयन।

4000-100-6000 रुपये।

साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' (उच्च कुशल श्रेणी-1) अराजपत्रित, अननुसूचितवीय।

दो सौ पचपन (255) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

ऑफसेट मशीन सहायक।

31.

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

- (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मुद्रण प्रौद्योगिकी (ऑफसेट) में डिप्लोमा।
 (ii) एकल और विविधरंग बोर्डों के लिए ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन पर तीन वर्ष कार्य करने का अनुभव।
- टिप्पण:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामलों में शिथिल की जा सकती है (है); जब चयन की किसी प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की राय यह है कि उनके लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

अष्टादह से सताईस वर्ष के बीच (सौधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा शिथिल कर के सैतीस वर्ष तक की जा सकती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में पांच वर्ष और शिथिल की जा सकती है।)

टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

लागू नहीं होता।

अज्ञेय।

4000-100-6000
रुपये।

साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (उच्च कुशल श्रेणी-I) अराजपत्रित, अननुसूचित जाति, जा सकता है)।

31. ऑफसेट मशीन सहायक।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
विद्यमान आपरेटर के सिवाए जिसके लिए कोई अधिकतम सीमा अपेक्षित नहीं है, स्थानान्तरित या अमेरित व्यक्तिओं के लिए आयु सीमा पैतालीस (45) वर्ष तथा ऐसे मुद्रणालय में जहां पैतालीस (45) वर्ष तक आयु के स्थानान्तरित व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं वहां आयु सीमा शिथिल करके पचास (50) वर्ष तक की जा सकती है।	सौधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सौ प्रतिशत आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सौधे भर्ती द्वारा, (i) पचास प्रतिशत प्रॉन्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्त द्वारा, (ii) पचास प्रतिशत सौधे भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रॉन्ति द्वारा।	प्रॉन्ति:- 3050-75-3950-80-4590 रुपये के वेतनमान में ऐसा ऑफसेट मशीन परिसर जिसने व्यवसाय परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अध्यक्षीन आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। आमेलन:- ऐसा लैटर प्रैस मशीन सहायक जिसने व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के अध्यक्षीन ऑफसेट मुद्रण मशीन प्रचालन का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करने के पश्चात् उस श्रेणी में उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रॉन्ति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा बाह्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है।	लागू नहीं होता।

प्रतिनियुक्ति:-
केंद्रीय सरकार (जिसके अन्तर्गत विभाग भी सम्मिलित है) के ऐसे अधिकारी:
(क) जो 4000-100-6000 रुपये के वेतनमान में ऑफसेट मशीन सहायक का पद व्यवसाय परीक्षण में अर्हता के अध्यक्षीन नियमित आधार पर पद धारण किए हो।
(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर पद पर प्रति-नियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

टिप्पण:- रिक्रियों को पहले उसी मुद्रणालय से आमेलन द्वारा भरा जाना है तत्पश्चात् भारत सरकार के अन्य मुद्रणालयों से स्थानान्तरण द्वारा भरा जाना है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
32.	ऑफिसेट मशीन परिवार। तीन सौ उनतीस (329) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (कुशल श्रेणी-I) अराजपत्रित, अननुसूचिवाय।	3050-75- 3950-80- 4590 रुपये।	अचयन।	लागू नहीं होता।	अठ्ठाहर से सप्ताईस वर्ष के बीच (सौधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा शिथिल कर के पैंतीस वर्ष तक की जा सकती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में पांच वर्ष और शिथिल की जा सकती है।)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य (ii) ऑफिसेट प्रिंटिंग प्लेट मेकिंग के व्यवसाय में शिशु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अधीन शिशुता पूरी करने का प्रमाण पत्र। (iii) किसी ख्यातिप्राप्त मुद्रणालय में ऑफसेट मशीन पर कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव।	टिप्पणः—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हतायें) सब लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामलों में शिथिल की जा सकती है (है) जब चयन की किसी प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की राय यह है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।
						टिप्पणः— आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले का पांगी उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए बिलि की गई हैं)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।		

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<p>विद्यमान अपरेटर के सिवाए जिसके लिए कोई अधिकतम सीमा अपेक्षित नहीं है, स्थानान्तरित या आमेलित व्यक्तियों के लिए आयु सीमा पैतालीस (45) वर्ष तथा ऐसे मुद्रणालय में जहाँ पैतालीस (45) वर्ष तक आयु के स्थानान्तरित व्यक्ति उपलब्ध नहीं है वहाँ आयु सीमा शिथिल करके पचास (50) वर्ष तक की जा सकती है।</p>	<p>सौ प्रशिक्षित आमेलन द्वारा जिसके अभाव में सीधी भर्ती द्वारा, (i) पचास प्रशिक्षित प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्त द्वारा, (ii) पचास प्रशिक्षित सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा।</p>	<p>आमेलन:- ऐसा मोनो कास्टर अपरेटर धातुगालक, प्रैस प्रूफ मैन श्रेणी-I, सिलेक्टर प्रूफ प्रैस मैन, कम्पोजिटर श्रेणी-II, डिस्ट्रीब्यूटर, मशीनमैन श्रेणी-II लैटर प्रैस), मशीन असिस्टेंट (लैटर प्रैस) स्टीरियो टाइपर और मशीन अटेंडेन्ट (लैटर प्रैस) श्रेणी में ऑफसेट प्रोडोगिकी में छह महीने का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात् छह वर्ष की नियमित सेवा के साथ की हो।</p>	<p>प्रोन्नति:- 2550-55-60-3200 रुपये के वेतनमान में ऐसा श्रमिक, जिसने व्यावसाय परीक्षण में अहर्ता प्राप्त करने के अध्यक्षीन, उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा बाह्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है।</p>	<p>प्रतिनियुक्ति:- केन्द्रीय सरकार (जिसके अन्तर्गत विभाग भी सम्मिलित है) के ऐसे अधिकारी: (क) 3050-75-3950-80-4590 रुपये के वेतनमान में आफसेट मशीन परिचर के पद पर नियमित आधार पर सेवा की हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रति-नियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
33.	सहायक निरीक्षक (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराज्यप्रतिष्ठ, अनुसूचित वर्ग।	4500-125-7000 रुपये।	बचत।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	<p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (दसवीं कक्षा) उत्तीर्ण।</p> <p>(ii) सेना/अर्द्ध-सैनिक बल/पुलिस में छह वर्ष तक 4000-6000 रुपये की श्रेणी में सेवा का अनुभव।</p>
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
लागू नहीं होता।	सौधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सौ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रतिनियुक्ति:- केन्द्रीय सरकार (जिसके अन्तर्गत विभाग भी सम्मिलित है) के ऐसे अधिकारी: (क) 4000-100-6000 रुपये के वेतनमान में ऐसा सैनिक/अर्द्ध-सैनिक/पुलिस बल का व्यक्ति जो छह वर्ष नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. भारत सरकार, मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारसाथक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा बाह्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. भारत सरकार, मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारसाथक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा बाह्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है।	लागू नहीं होता।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
34. इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटीकोटिंग मशीन प्रचालक/रेसोश्राफर।	(16) सोलह (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (उच्च कुशल श्रेणी-II) अराजपत्रित, अननुसूचितबीय।	4000-100-6000 रुपये।	अचयन।	लागू नहीं होता।	अद्वारह से सप्ताहस वर्ष के बीच (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा शिथिल कर के पैंतीस वर्ष तक की जा सकती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दशा में पांच वर्ष और शिथिल की जा सकती है।)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा साथ ही दो वर्ष के अनुभव।
						टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पॉति बिते तथा चम्बा जिले का पांगी उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	टिप्पण:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हतायें) संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामलों में शिथिल की जा सकती है (है) जब चयन की किसी प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी को राय यह है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
शैक्षिक योग्यता-हां आयु- नहीं।	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर में सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण:- रिक्रितियों को पहले उसी मुद्रणालय से आमेलन द्वारा भरा जाना है तत्पश्चात् भारत सरकार के अन्य मुद्रणालयों से स्थानान्तरण द्वारा भरा जाता है।	आमेलन:- ऐसा कम्पोजिटर श्रेणी-I, डार्क रूम सहायक, और कम्पोजिटर श्रेणी-II व्यवसाय जिसे व्यवसाय परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अध्ययधीन रहते हुए, इलेक्ट्रॉनिक डुरिपकोटिंग मशीन के प्रचालन के छह मास का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात् आठ वर्ष को नियमित सेवा को है।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा बाह्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
35.	सिल्लक स्किन् आपरेटर ।	3 (तीन) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है) । साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अति कुराल) अराजकप्रति, अननुसचिवीय ।	4000-100-6000 रुपये ।	चयन ।	लागू नहीं होता ।	अद्वारह से सत्ताईस वर्ष के बीच (सौथी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अध्यर्थियों को उच्च आयु सीमा शिथिल कर के पैंतीस वर्ष तक की जा सकती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में पाँच वर्ष और शिथिल की जा सकती है ।)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (दसवीं कक्षा) उत्तीर्ण । (ii) किसी ख्याति प्राप्त मुद्रणालय या संस्था से सिल्लक स्क्रीन प्रिन्टिंग में पाँच वर्ष का अनुभव ।
<p>टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अध्यक्षियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी । (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा घग्वा जिले का पांगी उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अध्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं) । रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।</p> <p>टिप्पण:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हतायें) संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या जनजातियों के अध्यर्थियों के मामलों में शिथिल की जा सकती है (है) जब चयन की किसी प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की राय यह है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरणे के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अध्यक्षियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।</p>							

(14)

(13)

(12)

(11)

(10)

विद्यमान आपरेटर के सिवाए जिसके लिए कोई अधिकतम सीमा अचेष्टित नहीं है, स्थानान्तरित या आमंत्रित व्यक्तियों के लिए आयु सीमा पैतालीस (45) वर्ष तथा ऐसे मुद्रणालय में जहाँ पैतालीस (45) वर्ष तक आयु के स्थानान्तरित व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं वहाँ आयु सीमा शिथिल करके पचास (50) वर्ष तक की जा सकती है।

सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(i) पचास प्रतिशत आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा,

(ii) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पण:- रिक्तियों को पहले उसी मुद्रणालय से आमेलन द्वारा भरा जाना है तत्पश्चात् भारत सरकार के अन्य मुद्रणालयों से स्थानान्तरण द्वारा भरा जाना है।

आयोजन:-

ऐसा धातुगालक और कॉम्पोजिट श्रेणी-I जिसने छः महीने का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर, व्यवसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अध्ययधीन रहते हुए, आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो।

प्रोन्नति:-

3050-75-3950-80-4590 रुपये के वेतनमान में ऐसा सहायक सिल्वर स्क्रीन आपरेटर जिसने उस श्रेणी में व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण करने के अध्ययधीन रहते हुए पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।

प्रतिनियुक्ति:-

केन्द्रीय सरकार (जिसके अन्तर्गत विभाग भी सम्मिलित है) के ऐसे अधिकारी:

(क) जिसने सिल्वर स्क्रीन आपरेटर के पद पर 4000-100-6000 रुपये के वेतनमान में नियमित सेवा की हो।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रति-नियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:

1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष
2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य
3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य
4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा बाह्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है।

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
36.	<p>पांच (5) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।</p>	<p>साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (कृशाल) आरक्षणित, अनुसूचित जाति।</p>	<p>3050-75-3950-80-4590 रुपये।</p>	<p>अचयन।</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>	<p>अद्वारह से सत्तरस वर्ष के बीच (सीपी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा शिथिल कर के फ़ीसवर्ष तक की जा सकती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दशा में पांच वर्ष और शिथिल की जा सकती है।)</p>	<p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (दसवीं कक्षा) पास। (ii) किसी छात्रागण मुद्रणालय या संस्थान से सिलेक्ट स्क्रीन प्रिन्टिंग में तीन वर्ष का अनुभव।</p>
						<p>टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले का पांगी उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>	<p>टिप्पण:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हतायें) संव लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या संक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामलों में शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन की किसी प्रक्रिया में संव लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या संक्षम प्राधिकारी की राय यह है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरणे के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<p>विद्यमान आपरेटर के सिवाए जिसके लिए कोई अधिकतम सीमा अपेक्षित नहीं है, स्थानान्तरित या आमेलित व्यक्तियों के लिए आयु सीमा पैंतालीस (45) वर्ष तथा ऐसे मुद्रणालय में जहां पैंतालीस (45) वर्ष तक आयु के स्थानान्तरित व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं वहां आयु सीमा शिथिल करके पचास (50) वर्ष तक को जा सकती है।</p>	<p>सौ प्रतिशत आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण:- रिक्तियों को पहले उसी मुद्रणालय से आमेलन द्वारा भरा जाना है तत्पश्चात् भारत सरकार के अन्य मुद्रणालयों से स्थानान्तरण द्वारा भरा जाना है।</p>	<p>आमेलन:- ऐसा प्रूफ प्रेंस-मैन श्रेणी-II और निम्नलिखित सेवा वाला ऐसा कम्पोजिटर श्रेणी-II जिसने व्यवसाय परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अध्यक्षीय रहते हुए, छह वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक कार्यालय का भारसाभक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा बाह्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। 	<p>लागू नहीं होता।</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
37.	श्रमिक।	<p>चार सौ छियानवे (496) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।</p> <p>साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'घ' (अकुराल श्रेणी-1) अराजपत्रित, अनुसूचितों।</p>	<p>2550-55-2600-60-3200 रुपये।</p>	अवयन।	लागू नहीं होता।	<p>अंडमान से सत्राईस वर्ष के बीच (सौथी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा शिथिल कर के पैंतीस वर्ष तक की जा सकती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में पांच वर्ष और शिथिल की जा सकती है।</p>	<p>किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या बोर्ड से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण।</p>
		<p>टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लदाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से को जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>					

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	सोचे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सौ प्रतिशत आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण:- शिक्तियों को पहले उसी मुद्रणालय से आमेलन द्वारा भरा जाना है तत्पश्चात् भारत सरकार के अन्य मुद्रणालयों से स्थानान्तरण द्वारा भरा जाना है।	आमेलन:- रॉलर संचागर, प्रूफ प्रैस मैन श्रेणी-II, मशीन परिचर (लैंटर प्रैस) लीहार्, वैल्वर, बर्ड इलेक्ट्रिकल खलासी के आमेलन द्वारा।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय को भारतसाधक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा बाह्य सदस्य जिसको उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है।	लागू नहीं होता।

[फाइल संख्या : 22/2/98 ए.आई. खण्ड-III]

एच. ए. यादव
निदेशक, (मुद्रण)

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION

New Delhi, the 29th May, 2003

G.S.R. 218.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and read with article 73 of the Constitution and in supersession of the Government of India Presses (Group 'C' and Group 'D' Industrial posts) Recruitment Rules, 1993, Government of India Presses and Branches Group 'C' Electronic Duplicating Machine Operator Recruitment Rules, 1996 and Government of India Press, Minto Road and Ring Road, New Delhi, Assistant Inspector (Control) and Assistant Inspector (Control) (Computing) Recruitment Rules 1979 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' and Group 'D' Industrial posts in Government of India Presses or their Branches in the Directorate of Printing of Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Government of India Presses (Group 'C' and Group 'D' Industrial posts), Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scales of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule :

Provided that where the Director of Printing is satisfied for reasons to be recorded in writing, he may by order, transfer an employee from one Press to any other Press under his control in the public interest or on the request of such employee on compassionate ground for re-deployment of surplus staff of the Press, subject to the following conditions namely :—

- (i) Where the transfer is ordered in the public interest, the service interests of the employee concerned shall not be adversely affected.
- (ii) Where the transfer is made on the request of the employee concerned on compassionate grounds, the individual concerned will not get the benefit of the service rendered by him in his own parent unit for the purpose of seniority in the unit in which he is transferred, and
- (iii) Where a surplus person is re-deployed, he shall be treated as fresh recruit for the purposes of seniority in the unit in which he is absorbed.

5. Disqualification.—No person—

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Foreman.	Twelve (12) (Subject to change as per work load).	General Central Service, Group 'C', (Supervisory) Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 5000-150-8000.	Non-Selection.	Not applicable.	Between eighteen and twenty seven years. (Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes). NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lehaul and Spiti District and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.	(i) Diploma in Printing Technology from a recognised university or institution, with three years experience of working in reputed press/institutions.
2. Foreman (Blindery).	Thirty seven (37) (Subject to change as per work load).	General Central Service Group 'C' (Supervisory) Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 5000-150-8000.	Non-Selection.	Not applicable.	Between eighteen and twenty seven years. (Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes). NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lehaul and Spiti District and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.	(i) Diploma in Printing Technology from a recognised university or institution, with three years experience of working in reputed press or institutions.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
Not applicable.	Two years for Direct Recruits.	(i) By absorption (ii) By surplus employee on transfer from other Government of India Presses failing which by direct recruitment.	Absorption: Foreman (Lino), Foreman (Mono), Foreman (Case Room) Foreman (Machine) Foreman (Planning) having regular service in the grade.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. General Manager/Manager of Government of India Press— <i>Chairman</i> 2. Deputy Manager/Office-in-Charge— <i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)— <i>Member</i> . 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	Not applicable.
Not applicable	Two years for Direct Recruits.	By Promotion failing which by deputation, failing which by Direct Recruitment.	Promotion: Section Holder (Bindery)/Time Checker (Bindery) in the Pay Scale of Rs. 4500-125-7000 with three years regular service in the grade failing which Section Holder (Bindery)/Time Checker (Bindery) with combined regular service of eight years in that grade and in the grade of Binder.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. General Manager/Manager of Government of India Press— <i>Chairman</i> 2. Deputy Manager/Office-in-Charge— <i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)— <i>Member</i> . 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	Not applicable.

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.

Diploma in Printing Technology from a recognised university or institution with three years working experience of Binding in a Press or institution engaged in printing and binding work of repute.

Between eighteen and twenty seven years.

(Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).

NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division

Not applicable.

Non-Selection.

Rs. 4500-125-

7000.

General Central Service Group 'C' (Supervisory). Non-Gazetted, Non-Ministerial.

Ninety two (92) (Subject to change as per work load).

3. Section Holder (Bindery)/ Time Checker (Bindery).

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			<p>Deputation : Officers of the Central Government (including the department): (a) holding analogous posts i.e. Foreman (Bindery) in the scale of Rs. 5000-150-8000 on regular basis or (b) Section Holder (Bindery)/Time Checker (Bindery) in the Pay Scale of Rs. 4500-125-7000 with three years regular service in the grade. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).</p>		
Not applicable.	Two years for Direct Recruits.	By absorption failing which by Promotion failing which by deputation, failing by Direct recruitment.	<p>Absorption : Section Holder (Case), Time Checker (Case), Section Holder (Mono-Caster) & Reader/Reviser with five years regular service in that grade after three month training in Binding Section. Promotion : Binder with five years regular service in the grade in the Pay Scale of Rs. 4000-100-6000 failing which Assistant Binder in the Pay Scale of Rs. 3050-75-3950-80-4590 with combined regular service of thirteen years in the grade and in the grade of Binder.</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. General Manager/Manager of Government of India Press—<i>Chairman</i> 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—<i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)—<i>Member</i> 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.</p>	Not applicable.
			<p>Deputation : Officers of the Central Government (including the department): (a) holding analogous posts i.e. Section Holder (Bindery)/Time Checker (Bindery) in the Pay</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	Binder [Post of special grade Binder merged with Binder].	Five hundred seventy six (576) (Subject to change as per work load).	General Central Service Group 'C' (Highly Skilled Grade II). Rs. 4000-100-6000.	Non-Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
						of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.	

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		<p>Not applicable. By Promotion failing which by deputation.</p>	<p>Scale of Rs. 4500-125-7000, on regular basis or (b) Binders in the Pay Scale of Rs. 4000-100-6000 with five year regular service in the grade. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. General Manager/Manager of Government of India Press—<i>Chairman</i> 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—<i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)—<i>Member</i> 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.</p>	
		<p>Promotion :</p>	<p>Assistant Binder in the Pay Scale of Rs. 3050-75-3950-80-4590 with eight years regular service in the grade subject to qualifying Trade Test.</p>		
		<p>Deputation :</p>	<p>Officers of the Central Government (including the department): (a) holding analogous posts i.e. Binder in the Pay Scale of Rs. 4000-100-6000 on regular basis or (b) Assistant Binders in the Pay Scale of Rs. 3050-75-3950-80-4590 with eight years regular services subject to qualifying respective trade test for that trade.</p>		
			<p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5. Assistant Binder.	One thousand six hundred twenty three (1623) (Subject to change as per work load).	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 3050-75-3950-80-4590.	Non-Selection.	Not applicable.	Between eighteen and twenty seven years. (Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).	(i) Matriculation (10th class) Pass from recognised School or Board. (ii) Certificate of successful completion of Apprenticeship under the Apprenticeship Act, 1961 (52 of 1961); OR Certificate of successful completion of vocational course at +2 level in Printing Technology
						NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	NOTE: The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
						The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.	

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<p>Age for transferee or absorption upto forty five years except in the case of existing operators for whom no upper age limit is required. In those Presses where transferees upto forty five years are not available, the age limit may be relaxed upto fifty years.</p>	<p>(i) Hundred percent Absorption from the Presses failing which</p> <p>(ii) Fifty percent by promotion</p> <p>(iii) Five percent by absorption from Grade 'D' Non-Industrial</p> <p>(iv) Forty five percent by direct recruitment failing which by promotion.</p>	<p>Absorption :</p> <p>(i) Regular Asstt. Binder, Mono Caster Operator, Compositor-II, Machine Asstt. (Letter Press), Copy Holder, Proof Press Man-I, Dark Room Asstt., Etcher, Machine Asstt. (Rotary), Stereo Typer, Moulder, Distributor, Cylinder Proof Pressman-I and Metal Melter to be absorbed on transfer after successful completion of training of three months and Trade Test, except for Assistant Binder where Press is under modernisation.</p> <p>(ii) Group 'D' employees of Non-industrial category with eight years regular service in the respective grades subject to qualifying the Trade Test. Such absorption shall be made after obtaining specific willingness of the officials concerned in view of the change in the service conditions. Labourers shall not be considered for absorption to the post of Assistant Binder.</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. General Manager/Manager of Government of India Press—<i>Chairman</i> 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—<i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)—<i>Member</i>. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. 	<p>Not applicable.</p>	
		<p>Note: The vacancy is to be filled up by absorption from same Press first then by transfer from other Government of India Presses.</p>	<p>Promotion :</p> <p>Labourers in the Pay Scale of Rs. 2550-55-2600-60-3200 with eight years regular service in the grade subject to qualifying the Trade Test.</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6. Head Reader.	Thirteen (13) (Subject to change as per work load).	General Central Service Group 'C' (Supervisory). Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 5000-150-8000.	Non-Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
7. Reader [Post of Reviser has been merged with Reader and is redesignated as Reader].	One hundred forty three (143) (Subject to change as per work load).	General Central Service Group 'C' (Highly Skilled Grade I). Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 4000-100-6000.	Non-Selection.	Not applicable.	Between eighteen and twenty seven years. (Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).	(i) Graduation from a recognized University. (ii) Knowledge of Proof Reading Marks. (iii) Proficiency in English and Hindi Language and one Regional Language which is used in Press.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	<p>Promotion : Copy Editor in the Pay Scale of Rs. 4500-125-7000 with three years regular service in the grade failing which Copy Editor with combined regular service of eight years in the grade and in the grade of Reader failing both Reader with eight years.</p> <p>Deputation : Officers of the Central Government (including the department): (a) holding the post of Head Readers/Editors in the Pay Scale of Rs. 5000-150-8000 on regular basis or (b) Copy Editors in the Pay Scale of Rs. 4500-125-7000 with three years regular service or (c) Copy Editors in the Pay Scale of Rs. 4500-125-7000 with combined regular service of eight years in the grade and in the grade of Reader in the Pay Scale of 4000-100-6000. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. General Manager/Manager of Government of India Press—<i>Chairman</i> 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—<i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)—<i>Member</i>. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.</p>	Not applicable.
Age-No.	Two years for	By promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.	<p>Promotion : (i) Fifty five percent of the vacancies shall be filled from the grade of Copy Holder in the Pay Scale of Rs. 3050-75-3950-80-4590 with eight years regular service in the grade on the basis of seniority subject to their qualifying in the trade test called Readership Examination to be conducted by the Directorate of Printing.</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. General Manager/Manager of Government of India Press—<i>Chairman</i> 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—<i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)—<i>Member</i>. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.</p>	Not applicable.

(A)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

NOTE: The crucial date for (v) Two years experience of Proof Reading in a Press of repute.

determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangl Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.

- (i) Graduation from recognized University.
- (ii) Knowledge of English and Hindi and one of the regional languages in which printing is done in the Press.
- (iii) Two years experience in proof reading from Press or Institution of repute.

Between eighteen and twenty seven years.

(Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).

NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh,

Rs. 3050-75-
3950-80-4590.

Non-Selection.

Not applicable

General Central
Service
Group 'C'
(Skilled),
Non-Gazetted,
Non-Ministerial.

One
hundred
forty three
(143)
(Subject to
change as
per work
load).

8. Copy
Holder.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			<p>(ii) Forty five percent of the vacancies shall be filled on the basis of merit through Readership Examination to be conducted by the Directorate of Printing.</p> <p>Deputation : Officers of the Central Government (including the department):</p> <p>(a) holding the post of Reader in the Pay Scale of Rs. 4000-100-6000 on regular basis.</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).</p>		
<p>Age : No. Educational Qualifications : Yes.</p>	<p>Two years for Direct Recruits.</p>	<p>Hundred percent absorption from Presses failing which by</p> <p>(i) Ninety percent by direct recruitment.</p> <p>(ii) Ten percent by promotion.</p> <p>Note: The vacancy is to be filled up by absorption from same Press first then by transfer from other Government of India Presses.</p>	<p>Absorption: Compositor grade-II from other Govt. of India Presses after successful training of six months and Trade Test.</p> <p>Promotion : Group 'D' Industrial employees in the Pay Scale of Rs. 2550-55-2600-60-3200 who are Matriculate or equivalent from recognised School/Board and who have put in five years regular service subject to qualifying in a Trade Test.</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. General Manager/Manager of Government of India Press—<i>Chairman</i> 2. Deputy Manager/Office-in-Charge— <i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)— <i>Member.</i> 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. 	<p>Not applicable.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9. Head	Twelve (12)	General Central Service Group 'C' (Supervisory), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 4500-125 7000.	Non-Selection.	Not applicable.	<p>Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.</p>	<p>Essential:</p> <p>(i) Diploma in Mechanical or Electrical or Electronics Engineering from a recognised university or institution.</p> <p>(ii) Three years experience of maintenance/repairing of Printing and Allied equipments in a Institution/Press of repute.</p> <p>Desirable:</p> <p>(i) Knowledge of electric/electronics component used in Printing and Bindery equipments</p> <p>(ii) Working experience in any manufacturing units engaged in manufacturing of Printing and Binding Equipments/Machinery.</p> <p>NOTE: The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection</p>
g. Head	Twelve (12)	General Central Service Group 'C' (Supervisory), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 4500-125 7000.	Non-Selection.	Not applicable.	<p>(Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).</p> <p>NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.</p>	<p>Essential:</p> <p>(i) Diploma in Mechanical or Electrical or Electronics Engineering from a recognised university or institution.</p> <p>(ii) Three years experience of maintenance/repairing of Printing and Allied equipments in a Institution/Press of repute.</p> <p>Desirable:</p> <p>(i) Knowledge of electric/electronics component used in Printing and Bindery equipments</p> <p>(ii) Working experience in any manufacturing units engaged in manufacturing of Printing and Binding Equipments/Machinery.</p> <p>NOTE: The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection</p>

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years for Direct Recruits.	By Promotion failing which by deputation failing both by Direct Recruitment.	<p>Promotion : Mechanic (Printing and Binding) in the Pay Scale of Rs. 4000-100-6000 with five years regular service in the grade.</p> <p>Deputation : Officers of the Central Government (including the department): (a) holding the post of Head Mechanic (Printing and Binding) in the Pay Scale of Rs. 4500-125-7000 on regular basis or (b) Mechanic (Printing and Binding) in the Pay Scale of Rs. 4000-100-6000 with five years regular service in the grade.</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. General Manager/Manager of Government of India Press—<i>Chairman</i> 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—<i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)—<i>Member</i>. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. 	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10. Mechanic (Printing and Binding).	Sixty three (63) (Subject to change as per work load).	General Central Service Group 'C' (Highly Skilled Grade I), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 4000-100-6000.	Non-Selection.	Not applicable.	Between eighteen and twenty seven years. (Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).	<p>Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p> <p>(i) Diploma in Mechanical or Electrical or Electronics Engineering from a recognised university or institution.</p> <p>(ii) Two years experience of maintenance/repairing of Printing and Allied equipments in a Institution or Press of repute.</p> <p>NOTE: The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>
							<p>NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-Division of chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.</p>

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years for Direct Recruits.	<p>Hundred percent by absorption from Government of India Presses failing which by</p> <p>(i) Fifty percent by promotion failing which by deputation</p> <p>(ii) Fifty percent by direct recruitment failing which by promotion.</p>	<p>Absorption: Regular Mechanic (Mechanical Composing) after successful completion of six months training and Trade Test in repairing Offset, Binding and Allied equipment/machinery.</p> <p>Promotion: Assistant Mechanic (Printing and Binding) in the Pay Scale of Rs. 3050-75-3950-80-4590 with eight years regular service in that grade subject to qualifying in a Trade Test.</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. General Manager/Manager of Government of India Press—<i>Chairman</i> 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—<i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)—<i>Member</i>. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. 	Not applicable.
		<p>Note: The vacancy is to be filled up by <i>absorption</i> from same Press first then by <i>transfer</i> from other Government of India Presses.</p>	<p>Deputation : Officers of the Central Government (including the department):</p> <p>(a) holding the posts of Mechanic (Printing and Binding) in the Pay Scale of Rs. 4000-100-6000 on regular basis or</p> <p>(b) Assistant Mechanic (Printing and Binding) in the Scale of Rs. 3050-75-3950-80-4590 with eight years regular service in the grade subject to qualifying the prescribed Trade Test.</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11. Assistant Mechanic (Printing and Binding).	Sixty (60) (Subject to change as per work load).	General Central Service Group 'C' (Skilled) Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 3050-75-3950-80-4590.	Selection.	Not applicable.	Between eighteen and twenty seven years. (Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment). NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange requested to furnish nominations.	(i) Diploma in Mechanical or Electrical or Electronics Engineering from a recognised university or institution. (ii) With one years experience of maintenance/repairing of Printing and Allied equipments in a Institution/Press of repute. (iii) Ability to read the name of spare parts of machines used in printing industry (other than lino/mono type and casting machines) including lathe and other machine workshop and of servicing and maintenance of, offset and other machines. NOTE: The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years for Direct Recruits.	Hundred percent by Direct Recruitment failing which by absorption.	<p>Absorption: Absorption from Assistant Mechanic (Mechanical Composing) from Government of India Presses after completion of six month training and successful Trade Test.</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. General Manager/Manager of Government of India Press—<i>Chairman</i> 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—<i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)—<i>Member.</i> 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. 	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7	8
12. Electrician.	Twenty six (26) (Subject to change as per work load).	General Central Service Group 'C' (Highly Skilled Grade II), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 4000-100-6000.	Non-Selection.	Not applicable.	Between eighteen and twenty seven years. (Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes). NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.	(i) Diploma in Electrical or Electronics from a recognised university or institution. (ii) Electrical Supervisory Certificate of competency. (iii) Two years experience of running/maintenance of different types of both high tension and low tension electrical installation including underground cable system. (iv) Knowledge of maintenance of electrical installation. NOTE: The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
13. Wireman.	Eight (8) (Subject to change as per work load).	General Central Service Group 'C' (Skilled) Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 3050-75-3950-80-4590.	Non-Selection.	Not applicable.	Between eighteen and twenty seven years. (Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).	(i) Diploma in Electrical or Electronics from a recognised university or institutions. (ii) Electrical workman's permit. (iii) Workman's competency certificate or Electrical workman licence (Certificate of competency class I) or any other equivalent certificate and one years experience in the line.

9	10	11	12	13	14
Not applicable.	Two years for Direct Recruits.	(i) Fifty percent by promotion failing which by deputation. (ii) Fifty percent by direct recruitment failing which by promotion.	<p>Promotion: Wireman in the Pay Scale of Rs. 3050-75-3950-80-4590 with eight years regular service in the grade subject to qualifying in a Trade Test.</p> <p>Deputation : Officers of the Central Government (including the department) holding :- (a) the post of Electrician in the Pay Scale of Rs. 4000-100-6000 with regular service or (b) Wireman in the Pay Scale of 3050-75-3950-80-4590 with five years regular service in the grade subject to qualifying in the Trade Test. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. General Manager/Manager of Government of India Press—<i>Chairman</i> 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—<i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)—<i>Member</i>. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes/Scheduled Tribes.</p>	Not applicable.
Not applicable.	Two years for Direct Recruits.	(i) Twenty five per cent by promotion failing which by deputation. (ii) Seventy five per cent by direct recruitment failing which by promotion.	<p>Promotion : Electrical Khalasi in the Pay Scale or Rs. 2550-55-2600-60-3200 with Eight years regular service in the grade subject to qualifying in a Trade Test.</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. General Manager/Manager of Government of India Press—<i>Chairman</i> 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—<i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)—<i>Member</i>. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.</p>	Not applicable.

(5)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.

NOTE: The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

- (i) Matriculation (10th Class) pass from recognised School or Board.
 (ii) Should have at least two years experience in electric/electronics line.
 (iii) Certificate from recognised Industrial Training Institute.

NOTE: The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Between eighteen and twenty seven years.
 (Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).

NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-

Not applicable.

Selection.

Rs. 2550-55-2600-60-3200.

General Central Service Group 'D' (Unskilled), Non-Gazetted, Non-Ministerial.

Six (6) (Subject to change as per work load).

14. Electrical Khalasi.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			<p>Deputation : Officers of the Central Government (including the department):</p> <p>(a) holding the post of Wireman in the Pay Scale of Rs. 3050-75-3950-80-8590 with regular service.</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).</p>		
Not applicable.	Two years for Direct Recruits.	Hundred per cent by Direct Recruitment.	Not applicable.	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. General Manager/Manager of Government of India Press—<i>Chairman</i> 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—<i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)—<i>Member</i>. 4. Outside Member who is familiar with the work of press. <p>Note: Relevant instructions in this regard issued by Department of Personnel Training and Directorate of Printing be followed strictly.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15. Welder.	Four (4) (Subject to change as per work load).	General Central Service Group 'C' (Skilled) Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 3050-75- 3950-80-4590.	Selection.	Not applicable.	Division of chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.	(i) Matriculation (10th class) pass from recognised School or Board. (ii) Certificate from Industrial Training Institute in Welding Trade (iii) Three years experience of the trade. NOTE: The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years for Direct Recruits.	Hundred percent by direct recruitment failing which deputation.	<p>Deputation : Officers of the Central Government (including the department)</p> <p>(a) holding the post of Welder in the Pay Scale of Rs. 3050-75-3950-80-4590 with regular service.</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. General Manager/Manager of Government of India Press—<i>Chairman</i> 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—<i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)—<i>Member.</i> 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. 	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16. Carpenter.	Twelve (12) (Subject to change as per work load).	General Central Service Group 'C' (Skilled) Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 3050-75-3950-80-4590.	Selection.	Not applicable.	Between eighteen and twenty seven years. (Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).	(i) Matriculation (10th Class) Pass from recognised School or Board. (ii) Certificate from Industrial Training Institute. (iii) Three years experience in the trade.
						NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	NOTE: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
17. Truck Driver (Heavy Vehicle).	Five (5) (Subject to change as per work load).	General Central Service Group 'C' (Skilled) Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 3050-75-3950-80-4590.	Non-Selection.	Not applicable.	Between eighteen and twenty seven years. (Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).	(i) Matriculation (10th Class) pass from recognised School or Board. (ii) Experience of driving motor vehicle for five years. (iii) Should possess requisite valid driving licence for Heavy Motor Vehicles. (iv) Knowledge of Auto Mobile.
						NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date	NOTE: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years for Direct Recruits.	Hundred per cent direct recruitment failing which by deputation.	<p>Deputation : Officers of the Central Government (including the department):</p> <p>(a) holding the post of Carpenter in the Pay Scale of Rs. 3050-75-3950-80-4590 with regular service.</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. General Manager/Manager of Government of India Press—<i>Chairman</i> 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—<i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)—<i>Member</i>. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes/Scheduled Tribes. 	Not applicable.
Not applicable.	Two years for Direct Recruits.	Hundred percent by Promotion failing which by deputation, failing which, by direct recruitment.	<p>Promotion : Auto Truck Driver in the Pay Scale of Rs. 2650-65-3300-70-4000 with four years regular service in the grade failing which Auto Truck Driver with combined service of six years in the grade and in the grade of cleaner driver subject to passing at a Trade Test. Possessing Driving Licence for Heavy Vehicles is essential.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Government (including the department):</p> <p>(a) holding the post of Truck Drivers (Heavy Vehicles/Light Vehicles) in the Pay Scale of Rs. 3050-75-3950-80-4590 with regular service or</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. General Manager/Manager of Government of India Press—<i>Chairman</i> 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—<i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)—<i>Member</i>. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. 	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.	discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
18. Truck Driver (Light Vehicle).	Fifteen (15) (Subject to change as per work load).	General Central Service Group 'C' (Skilled) Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 3050-75-3950-80-4590.	Non-Selection.	Not applicable.	Between eighteen and twenty seven years. (Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).	<p>(i) Matriculation (10th Class) Pass from recognised School or Board.</p> <p>(ii) Experience of driving motor vehicle for five years.</p> <p>(iii) Should possess requisite valid driving licence for Light Motor Vehicles.</p> <p>(iv) Knowledge Auto Mobile.</p> <p>NOTE: The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled</p>
						<p>NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir</p>	

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years for Direct Recruits.	Hundred percent by Promotion failing which by deputation, failing which, by direct recruitment.	<p>(b) Auto Truck Driver in the Pay Scale of Rs. 2650-65-33-70-4000 with four years regular service subject to passing in the Trade Test.</p> <p>Possessing Driving Licence for Heavy Vehicle is essential.</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. General Manager/Manager of Government of India Press—<i>Chairman</i> 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—<i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)—<i>Member</i>. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. 	Not applicable.
Not applicable.	Two years for Direct Recruits.	Hundred percent by Promotion failing which by deputation, failing which, by direct recruitment.	<p>Promotion :</p> <p>Auto Truck Driver in the Pay Scale of Rs. 2650-65-3300-70-4000 with four years regular service in the grade failing which Auto Truck Driver with combined service of six years in that grade and in the grade of cleaner driver subject to passing at a trade test. Possessing Driving Licence for Heavy Vehicles is essential.</p> <p>Deputation:</p> <p>Officers of the Central Government (including the department) holding:-</p> <p>(a) the post of Truck Driver (Heavy Vehicle/Light Vehicle) in the Pay Scale of Rs. 3050-75-3950-80-4590 with regular service or</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. General Manager/Manager of Government of India Press—<i>Chairman</i> 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—<i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)—<i>Member</i>. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. 	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19. Auto Truck Driver.	Twenty (20) (Subject to change as per work load).	General Central Service Group 'D' (Semi-Skilled), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 2650-65-3300-70-4000.	Non-Selection.	Not applicable.	<p>State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.</p>	<p>Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>
						<p>Between eighteen and twenty seven years.</p> <p>(Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).</p>	<p>(i) Matriculation (10th Class) pass from recognised School or Board.</p> <p>(ii) Two years experience of driving work vehicle.</p> <p>(iii) Should possess requisite Driving Licence for Motor Vehicles.</p>
						<p>NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.</p>	<p>NOTE: The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in of the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years for Direct Recruits.	Hundred percent by Promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.	<p>(b) Auto Truck Driver in the Pay Scale of Rs. 2650-65-3300-70-4000 with four years regular service in the grade subject to passing in a Trade Test.</p> <p>Possessing Driving Licence for Heavy Vehicles is essential.</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Not applicable. Committee consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. General Manager/Manager of Government of India Press—<i>Chairman</i> 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—<i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)—<i>Member.</i> 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. 	
			<p>Promotion: Cleaner Driver in the Pay Scale of Rs. 2610-60-3150-65-3540 with two years regular service in the grade or Labourer with five years regular service in the grade subject to passing at a Trade Test.</p>		
			<p>Possessing Driving Licence is essential.</p>		
			<p>Deputation: Officers of the Central Government (including the department) holding:-</p>		
			<p>(a) the post of Auto Truck Driver in the Pay Scale of Rs. 2650-65-3300-70-4000 with regular service.</p>		
			<p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20. Cleaner Driver.	Three(3) (Subject to change as per work load).	General Central Service Group 'D' (Semi-Skilled), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 2610-60-3150-70-3540.	Selection.	Not applicable.	Between eighteen and twenty seven years. (Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes). NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.	(i) Matriculation (10th Class) pass from recognised School or Board. (ii) Experience of three years in similar capacity. (iii) Should possess requisite Driving Licence for Motor Vehicles. NOTE: The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in of the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
21. Senior Artist.	Twelve (12) (Subject to change as per work load).	General Central Service Group 'C' (Technical Supervisor), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 5500-175-9000.	Non-Selection.	Not applicable.	Between eighteen and twenty seven years. (Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes). NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of	(i) Degree in Fine/Commercial Arts/Graphic Design with Two years experience in Commercial Designing, Graphic Designing and Layout making. OR (ii) Diploma in Fine/Commercial Arts with 3 years experience in Commercial Designing, Graphic Designing, Layout making. (i) Qualifying Trade Test. AND

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years for Direct Recruits.	Hundred percent by direct recruitment.	Not applicable.	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. General Manager/Manager of Government of India Press—<i>Chairman</i> 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—<i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)—<i>Member</i>. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. 	Not applicable.
Not applicable.	Two years for Direct Recruits.	<p>(i) Fifty percent by promotion failing which by deputation.</p> <p>(ii) Fifty percent by direct recruitment failing which by promotion.</p>	<p>Promotion: Junior Artist in the Pay Scale of Rs. 5000-150-8000 with five years regular service in the respective grades subject to qualifying in a Trade Test.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Government (including the department): (a) holding the post of Senior Artist in the Pay Scale of 5500-175-9000 with regular service or</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. General Manager/Manager of Government of India Press—<i>Chairman</i> 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—<i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)—<i>Member</i>. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. 	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
22. Junior Artist.	Eighteen (18) (Subject to change as per work load).	General Central Service Group 'C' (Master craftsman), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 5000-150-8000.	Selection.	Not applicable.	<p>applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.</p>	<p>(ii) Working knowledge of English and Hindi or atleast one of the regional languages in which work is being done in the Press.</p> <p>NOTE : The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in of the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>
						<p>Between eighteen and twenty seven years.</p> <p>(Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).</p> <p>NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul</p>	<p>(i) Degree in Fine/Commercial/Arts or Graphic Designing and experience of one years in Commercial/Graphic Designing.</p> <p>OR</p> <p>(ii) Diploma in Fine/Commercial Arts or Graphic Designing with two years experience in Commercial/Graphic Designing and Layout making</p> <p>AND</p> <p>(i) Working knowledge of English and Hindi and one of the regional languages in which work is required to be done.</p> <p>(ii) Qualifying Trade test.</p> <p>NOTE : The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority</p>

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(b) Junior Artist in the Pay Scale of Rs. 5000-150-8000 with five years regular service in the grade.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).

Not applicable.

Two years for Direct Recruits.

Hundred percent by direct recruitment failing which by deputation.

Deputation :

Officers of the Central Government (including the department):
(a) holding the post of Junior Artist in the Pay Scale of 5000-150-8000 with regular service.
(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).

Group 'C' Departmental Promotion Not applicable.

Committee consisting of:

1. General Manager/Manager of Government of India Press—Chairman
2. Deputy Manager/Office-in-Charge—Member
3. Assistant Manager (Administration)—Member.
4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23. Artist Retoucher.	Thirty one (31) (Subject to change as per work load).	General Central Service Group 'C' (Technical Supervisor), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 5500-175-9000.	Selection.	Not applicable.	<p>(i) in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p> <p>(ii) Degree in Printing Technology from a recognised university or institution with two years experience OR Diploma in Printing Technology (Offset) from a recognised Institute of Printing and three years experience in scanning, Planning & Retouching in a offset establishments of repute.</p> <p>NOTE : The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>
	<p>and Spiti District and Pangl Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.</p>				<p>Between eighteen and twenty seven years.</p> <p>(Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).</p> <p>NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangl Sub-Division of Chamba, District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.</p>	

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years for Direct Recruits.	<p>(i) Fifty percent by direct recruitment failing which by promotion.</p> <p>(ii) Fifty percent by promotion failing which by deputation.</p>	<p>Promotion: Assistant Artist Retoucher in the Pay Scale of Rs. 5000-150-8000 with five years regular service in the grade subject to qualifying in a trade test.</p> <p>Deputation : Officers of the Central Government (including the department); (a) holding the post of Artist Retoucher in the Pay Scale of Rs. 5500-175-9000 with regular service or (b) Assistant Artist Retoucher in the Pay Scale of Rs. 5000-150-8000 with five years regular service in the grade subject to qualifying in a Trade Test.</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years).</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. General Manager/Manager of Government of India Press—<i>Chairman</i> 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—<i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)—<i>Member</i>. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. 	Group 'C' Departmental Promotion Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
24. Assistant Artist Retoucher.	Forty two (42) (Subject to change as per work load).	General Central Service Group 'C' (Master craftsman), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 5000-150-8000.	Selection.	Not applicable.	Between eighteen and twenty seven years. (Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).	(i) Degree in Printing Technology from a recognised university or institution with one years experience OR (ii) Diploma in Printing Technology (Offset) or equivalent from a recognised Institute of Printing and two years experience in scanning and Retouching in a photolitho establishments of repute.
						NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	NOTE: The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
						The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.	

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years for Direct recruits.	Hundred percent by direct recruitment failing which by deputation.	<p>Deputation : Officers of the Central Government (including the department):</p> <p>(a) holding the post of Assistant Artist Retoucher in the Pay Scale of Rs. 5000-150-8000 with regular service.</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).</p>	<p>Group 'C': Departmental Promotion Committee consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. General Manager/Manager of Government of India Press—<i>Chairman</i> 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—<i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)—<i>Member</i>. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. 	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
25. Cameraman.	Twenty nine (29) (Subject to change as per work load).	General Central Service Group 'C' (Highly Skilled Grade-II), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 4500-125-7000.	Non-Selection.	Not applicable.	Between eighteen and twenty seven years.	(i) Diploma in Printing Technology from a recognised institution. (ii) Three years experience in operation of Process Camera.
<p>NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.</p>							
26. Dark Room Assistant.	Thirty (30) (Subject to change as per work load).	General Central Service Group 'C' (Highly Skilled Grade-II), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 4000-100-6000.	Non-Selection.	Not applicable.	Between eighteen and twenty seven years.	(i) Diploma in Printing Technology from a recognised institution. (ii) Two years experience in operation of Process Camera.
<p>NOTE: The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in of the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority</p> <p>NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam,</p>							

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years for Direct Recruits.	(i) Fifty percent by Promotion failing which by direct recruitment. (ii) Fifty percent by direct recruitment failing which by deputation.	Promotion: Dark Room Assistant in the Pay Scale of Rs. 4000-100-6000 with five years regular service in the grade or Offset Plate Maker with five years regular service in the grade subject to qualifying Trade Test. Deputation: Officers of the Central Government (including the department): (a) holding the post of Cameraman in the Pay Scale of Rs. 4500-125-7000 with regular service or (b) Offset Plate Maker or Dark Room Assistant in the Pay Scale of Rs. 4000-100-6000 with five years regular service in the grade subject to qualifying in a Trade Test. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. General Manager/Manager of Government of India Press— <i>Chairman</i> 2. Deputy Manager/Office-in-Charge— <i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)— <i>Member</i> . 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	Not applicable.
Age for transferee or absorption upto forty five years except in the case of existing operators for whom no upper age limit is required. In those Presses where transferees upto forty five years are not available, the age limit may be relaxed upto fifty years.	Two years for Direct Recruits.	Hundred percent by absorption from other Presses failing which by direct recruitment. Note: The vacancy is to be filled up by absorption from same Press first then by transfer from other Government of India Presses.	Absorption: Reader, Compositor Grade-I subject to completion of six months of successful training and qualifying Trade Test.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. General Manager/Manager of Government of India Press— <i>Chairman</i> 2. Deputy Manager/Office-in-Charge— <i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)— <i>Member</i> . 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<p>Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangl Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.</p>	<p>is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>
27. Offset	Seventy seven (77)	General Central Service	Rs. 4000-100-	Non-Selection.	Not applicable.	<p>Between eighteen and twenty seven years.</p> <p>(Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).</p>	<p>(i) Matriculation (10th class) or equivalent from recognised School/Board preference being given to candidates who have passed with Chemistry.</p> <p>(ii) Diploma in Printing Technology (Offset) from a recognised Institute of Printing Technology.</p>
Plate	change as per work load).	Group 'C' (Highly Skilled Grade I), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	6000.			<p>NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangl Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment</p>	<p>OR</p> <p>Certificate of successful completion of apprenticeship in Plate making under the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961) with three years of practical experience in Plate making.</p> <p>NOTE : The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in of the case of candidates belonging to Scheduled Castes or</p>

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<p>Age for transferee or absorption upto forty five years except in the case of existing operators for whom no upper age limit is required. In those Presses where transferees upto forty five years are not available, the age limit may be relaxed upto fifty years.</p>	<p>Two years for Direct Recruits.</p>	<p>Hundred percent by absorption failing which by</p> <p>(i) Fifty percent by Promotion.</p> <p>(ii) Fifty percent by direct recruitment failing which by promotion.</p> <p>Note: The vacancy is to be filled up by absorption from same Press first then by transfer from other Government of India Presses.</p>	<p>Absorption: Xerox Operator, Compositor Grade-I, Letter Press Machineman after completion of six months of successful training and qualifying Trade Test.</p> <p>Promotion: Assistant Plate Maker in the Pay Scale of Rs. 3050-75-3950-80-4590 with eight years regular service in the grade subject to qualifying Trade Test.</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. General Manager/Manager of Government of India Press—<i>Chairman</i> 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—<i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)—<i>Member</i>. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. 	<p>Not applicable.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
28. Asstt. Plate Maker (Offset).	Twenty four (24) (Subject to change as per work load).	General Central Service Group 'C' (Skilled) Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 3050-75-3950-80-4590.	Non-Selection.	Not applicable.	<p>through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.</p> <p>Between eighteen and twenty seven years.</p> <p>(Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).</p>	<p>Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p> <p>(i) Matriculation or equivalent, with Physics and Chemistry as subject from recognised School or Board.</p> <p>(ii) Certificate from Industrial Training Institute in Platemaking trade with three years experience.</p> <p>OR</p> <p>A certificate of successful completion of Apprenticeship under Apprenticeship Act 1961 in the trade of Plate Making with five years of working experience in Offset Press of repute.</p>
						<p>NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-Division of chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.</p>	

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Age for transferee or absorption upto forty five years except in the case of existing operators for whom no upper age limit is required. In those Presses where transferees upto forty five years are not available, the age limit may be relaxed upto fifty years.

Two years for Direct Recruits.

By absorption falling which by direct recruitment.

Note: The vacancy is to be filled up by absorption from same Press first then by transfer from other Government of India Presses.

Absorption:

Compositor Grade. II, Distributor, Machine Asstt. (Letter Press), Mono Caster Operator, Cylinder Press Proof Man, Press Proof Man Grade-I subject to six months of successful training and qualifying Trade Test.

Group 'C' Departmental Promotion Not applicable. Committee consisting of:

1. General Manager/Manager of Government of India Press—*Chairman*
2. Deputy Manager/Office-in-Charge—*Member*
3. Assistant Manager (Administration)—*Member.*
4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
29. Desk Top Publishing Operator <i>Note:</i> Phototype-setter Operator/Key Board Operator will be known as Desk Top Publishing Operator in future.	Two hundred eighteen (218) (Subject to change as per work load).	General Central Service Group 'C' (Master Craftsman), Non-Gazetted, Non-Ministerial).	Rs. 4500-125-7000.	Non-Selection.	Not applicable.	(i) Between eighteen and twenty seven years. (Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes). (ii) Typing experience in Hindi and English language.	Diploma in Printing Technology with three years experience of Operating Computer.
NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-Division of chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.							
30. Offset Machineman.	Two hundred sixty seven (267) (Subject to change as per work load).	General Central Service Group 'C' (Master Craftsman), Non-Gazetted, Non-Ministerial).	Rs. 4500-125-7000.	Non-Selection.	Not applicable.	(i) Between eighteen and twenty seven years. (Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes). NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam,	(i) Diploma in Printing Technology (Offset) from a recognised institution. (ii) Five years working experience on Offset Machine doing single and multi colour work NOTE: The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Age for transferee or absorption upto forty five years except in the case of existing operators for whom no upper age limit is required. In those Presses where transferees upto forty five years are not available, the age limit may be relaxed upto fifty years.	Two years for Direct Recruits.	Hundred percent absorption from other Presses failing which by direct recruitment. Note: The vacancy is to be filled up by absorption from same Press first then by transfer from other Government of India Presses.	Absorption: Technical Assistant (Vartype) or Lino Operators, Mono Operators, Readers and Compositor Grade-I with five years regular service in the grade with six months of successful training in Desk Top Publishing (DTP) operation and qualifying Trade Test.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. General Manager/Manager of Government of India Press— <i>Chairman</i> 2. Deputy Manager/Office-in-Charge— <i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)— <i>Member</i> . 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	Not applicable.
Age for transferee or absorption upto forty five years except in the case of existing operators for whom no upper age limit is required. In those Presses where transferees upto forty five years are not available, the age limit may be relaxed upto fifty years.	Two years for Direct Recruits.	Hundred percent by absorption failing which by (i) Fifty percent by Promotion failing which by deputation. (ii) Fifty percent by direct recruitment failing which by promotion. Note: The vacancy is to be filled up by absorption from same Press first then by transfer from other Government of India Presses.	Absorption : Section Holder (Machine) or Machineman of Letter Press, Machineman (Rotary), Time Checker (Machine) with five years regular service in that grade and with six months successful training in operation of offset printing machine subject to qualifying Trade Test. Promotion: Offset Machine Assistant in the Pay Scale of Rs. 4000-100-6000 with five years regular service in the grade subject to qualifying trade test failing which Offset Machine Assistant with thirteen years combined service in the grade and in the grade of Offset Machine Attendant	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. General Manager/Manager of Government of India Press— <i>Chairman</i> 2. Deputy Manager/Office-in-Charge— <i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)— <i>Member</i> . 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<p>Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangl Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>	<p>Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>
<p>31. Offset Machine Assistant.</p>	<p>Two hundred fifty five (255) (Subject to change as per work load).</p>	<p>General Central Service Group 'C' (Highly Skilled Grade I), Non-Gazetted, Non-Ministerial.</p>	<p>Rs. 4000-100-6000.</p>	<p>Non-Selection.</p>	<p>Not applicable.</p>	<p>Between eighteen and twenty seven years. (Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).</p>	<p>(i) Diploma in Printing Technology (Offset) from a recognised institution. (ii) Three years of working experience on Offset Printing Machine working for single and multi colour jobs.</p>
						<p>NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangl Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>	<p>NOTE: The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<p>Age for transferee or absorption upto forty five years except in the case of existing operators for whom no upper age limit is required. In those Presses where transferees upto forty five years are not available, the age limit may be relaxed upto fifty years.</p>	<p>Two years for Direct Recruits.</p>	<p>Hundred percent by absorption failing which by</p> <p>(i) Fifty percent by Promotion failing which by deputation.</p> <p>(ii) Fifty percent by direct recruitment failing which by promotion.</p> <p>Note: The vacancy is to be filled up by absorption from same Press first then by transfer from other Government of India Presses.</p>	<p>subject to qualifying Trade Test failing which both Offset Machine Attendant with thirteen years regular service in the grade subject to qualifying Trade Test.</p> <p>Deputation : Offset Machineman of other Government of India Presses failing which Offset Machine Asstt. with seven years regular service in the grade from other Govt. of India Presses subject to qualifying in a trade test. (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed three years).</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. General Manager/Manager of Government of India Press—<i>Chairman</i> 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—<i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)—<i>Member</i>. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. 	<p>Not applicable.</p>
			<p>Promotion : Offset Machine Attendant in the Pay Scale of Rs. 3050-75-3950-80-4590 with eight years regular service in the grade subject to qualifying Trade Test.</p> <p>Absorption: Letter Press Machine Assistant with eight years regular service in that grade after successfully undergoing training for six months in the operation of Offset Printing Machine subject to qualifying Trade Test.</p> <p>Deputation : Officers of the Central Government (including the department): (a) holding the post of Offset Machine Assistant in the Pay Scale of Rs. 4000-100-6000 with regular service subject to qualifying in a Trade Test. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
32. Offset Machine Attendant.	Three hundred twenty nine (329) (Subject to change as per work load).	General Central Service Group 'C' (Skilled) Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 3050-75-3950-80-4590.	Non-Selection.	Not applicable.	Between eighteen and twenty seven years. (Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).	<p>(i) Matriculation or equivalent from recognised School or Board.</p> <p>(ii) A certificate of successful completion of Apprenticeship under the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961) in the trade of Offset Printing Plate Making.</p> <p>(iii) Three years of working experience on Offset Machine in Press of repute.</p> <p>NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.</p>
						<p>NOTE: The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in of the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<p>Age for transferee or absorption upto forty five years except in the case of existing operators for whom no upper age limit is required. In those Presses where transferees upto forty five years are not available, the age limit may be relaxed upto fifty years.</p>	<p>Two years for Direct Recruits.</p> <p>(i) Hundred percent by absorption failing which by</p> <p>(a) Fifty percent by Promotion failing which by deputation.</p> <p>(b) Fifty percent by direct recruitment failing which by promotion.</p>	<p>Absorption :</p> <p>Mono Caster Operator, Metal Melter, Press Proof Man Grade I, Cylinder Proof Press Man, Compositor Grade II, Distributor, Machinemen Grade II (Letter Press), Machine Asstt. (Letter Press) Stereo Typer and Machine Attendant (Letter Press) with six years regular service in that grade after successful completion of training on offset technology for six months.</p> <p>Promotion :</p> <p>Labourer in the Pay Scale of Rs. 2550-55-2600-60-3200 with eight years regular service in the grade subject to qualifying in a Trade Test.</p> <p>Deputation :</p> <p>Officers of the Central Government (including the department):</p> <p>(a) holding the post of Offset Machine Attendant in the Pay Scale of Rs. 3050-75-3950-80-4590 with regular service.</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. General Manager/Manager of Government of India Press—<i>Chairman</i> 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—<i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)—<i>Member</i>. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. 	<p>Not applicable.</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
33. Assistant Inspector (Control).	Six (6) (Subject to change as per work load).	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 4500-125-7000.	Selection.	Applicable.	Not applicable (As per the provisions made for Retired personnel of Military/Para military including police force)	1. Matriculation (10th Class), Pass from recognised School/Board 2. Experience of serving in Military/Para military force/Police in the grade of Rs. 4000-100-6000 of six years
34. Electronic Duplicating Machine Operator/Resographer.	Sixteen (16) (Subject to change as per work load).	General Central Service Group 'C' (Highly skilled Grade II), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 4000-100-6000.	Non-Selection.	Not applicable.	Between eighteen and twenty seven years. (Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment it further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes). NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lakshaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.	Diploma in Printing Technology from a recognised institution with two years experience. NOTE: The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in of the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(3)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years for Direct Recruits.	Hundred percent Direct Recruitment failing which by deputation.	<p>By deputation : Officers of the Central Government (including the department):</p> <p>(a) holding a post in Military/Para Military/Police Force personnel working in the grade of Rs. 4000-100-6000 with regular service of six years.</p>	<p>Group 'C'. Departmental Promotion Committee consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. General Manager/Manager of Government of India Press—<i>Chairman</i> 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—<i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)—<i>Member</i>. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. 	Not applicable.
Educational Qualification: Yes.	Two years for Direct Recruitment.	By absorption failing which by direct recruitment.	<p>Absorption: Compositor-I, Dark Room Assistant, and Compositor grade-II with eight years regular service in the grade after successful completion of six months training in the operation of Electronic Duplicating Machine and qualifying Trade Test.</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. General Manager/Manager of Government of India Press—<i>Chairman</i> 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—<i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)—<i>Member</i>. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. 	Not applicable.
Age : No.		<p><i>Note: The vacancy is to be filled up by absorption from same Press first then by transfer from other Government of India Presses.</i></p>			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
35. Silk Screen Operator.	Three (3) (Subject to change as per work load).	General Central Service Group 'C' (High Skilled), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 4000-100-6000.	Non-Selection.	Not applicable.	Between eighteen and twenty seven years. Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).	(i) Matriculation (10th Class) pass from Recognised School or Board. (ii) Having five years experience in Silk Screen printing process from reputed press or institution.
						NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.	NOTE: The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in of the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<p>Age for transferee or absorption upto forty five years except in the case of existing operators for whom no upper age limit is required. In those Presses where transferees upto forty five years are not available, the age limit may be relaxed upto fifty years.</p>	<p>Two years for Direct Recruits.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fifty percent by Absorption failing which by direct recruitment. 2. Fifty percent by promotion failing which by deputation. 	<p>Absorption: Metal Melter with eight years regular service and Compositor Grade-I after successful completion of six months training subject to qualifying Trade Test.</p> <p>Promotion: Assistant Silk Screen Operator in the Pay Scale of Rs. 3050-75-3950-80-4590 with five years service in a grade subject to passing Trade Test successfully.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Government (including the department): (a) holding the post of Silk Screen Operator in the Pay Scale of Rs. 4000-100-6000 with regular service. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Not applicable. Committee consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. General Manager/Manager of Government of India Press— <i>Chairman</i> 2. Deputy Manager/Office-in-Charge— <i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)— <i>Member</i>. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. 		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
36. Assistant Silk Screen Operator.	Five (5) (Subject to change as per work load).	General Central Service Group 'C' (Skilled) Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 3050-75- 3950-80-4590.	Non-Selection.	Not applicable.	Between eighteen and twenty seven years. (Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).	(i) Matriculation (10th Class) Pass from Recognised School/Board. (ii) Having three years experience in Silk Screen printing process from reputed press/institution.
						NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	NOTE: The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in of the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
						The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.	

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Age for transferee or absorption upto forty five years except in the case of existing operators for whom no upper age limit is required. In those Presses where transferees upto forty five years are not available, the age limit may be relaxed upto fifty years.	Two years for Direct Recruits.	(i) Hundred percent by absorption failing which by direct Recruitment. Note: The vacancy is to be filled up by absorption from same Press first then by transfer from other Government of India Presses.	Absorption: Proof Press Man grade - II with six years of regular service and Compositor Grade-II with regular service, subject to qualifying in a Trade Test successfully.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. General Manager/Manager of Government of India Press— <i>Chairman</i> 2. Deputy Manager/Office-in-Charge— <i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)— <i>Member</i> . 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
37. Labourer.	Four hundred ninety six (496) (Subject to change as per work load).	General Central Service, Group 'D' (Un-Skilled Grade I) Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 2550-55-2600-60-3200.	Non-Selection.	Not applicable.	Between eighteen and twenty seven years. (Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).	8th Class Pass from a recognised School or Board.
<p>NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangl Sub-Division of chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.</p>							

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years for Direct Recruits.	Hundred percent by absorption failing which by direct recruitment. <i>Note: The vacancy is to be filled up by absorption from same Press first then by transfer from other Government of India Presses.</i>	Absorption: From Roller Moulder, Proof Press Man Grade-II, Machine Attendant (Letter Press), Black Smith, Welder, Carpenter, Electrical Khalasi.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. General Manager/Manager of Government of India Press— <i>Chairman</i> 2. Deputy Manager/Office-in-Charge— <i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)— <i>Member</i> . 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	Not applicable.

[File No. 22/2/98-AI (Vol. III)]
H. A. YADAV
Director (Printing)